B.COM 3rd year

UNIT -1

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961

(Bhartiya Aayakar Adhiniyam, 1961) भारत में आयकर प्रणाली का मूल आधार है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नागरिकों और संस्थाओं से उनकी आय के आधार पर कर (Tax) वसूला जाता है। यह अधिनियम **1 अप्रैल 1962** से लागू हुआ था।

नीचे इसका एक **गहन (Deep) और क्रमबद्ध (Systematic) परिचय** दिया गया है:

1. प्रस्तावना (Preamble)

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 का मुख्य उद्देश्य है:
➡ व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर कर लगाना और संग्रह करना।
यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था और **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** इसके प्रशासन और कार्यान्वयन का कार्य करता है।

2. अधिनियम की संरचना (Structure of the Act)

यह अधिनियम बहुत ही विस्तृत है और इसमें कुल **298 धाराएं (Sections)** और **14 अनुसूचियाँ (Schedules)** शामिल हैं। इसे 23 अध्यायों (Chapters) में बाँटा गया है।

प्रमुख अध्याय:

अध्याय	विषयवस्तु
अध्याय I	प्रारंभिक परिभाषाएँ (Definitions)
अध्याय II	कराधान के आधार (Basis of Charge)
अध्याय III	आय की गणना के लिए विशिष्ट प्रावधान
अध्याय IV	आय के विभिन्न स्रोत
अध्याय VI-A	कटौतियाँ (Deductions)
अध्याय XIV	आकलन प्रक्रिया (Assessment)
अध्याय XIX	अपील और पुनर्विचार
अध्याय XXII	दंड और अभियोजन

□ 3. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

शब्द	अर्थ
आय (Income)	वेतन, व्यापार लाभ, किराया, ब्याज, लाभांश, पूंजीगत लाभ आदि सभी स्रोतों से अर्जित आमदनी।
व्यक्ति (Person)	व्यक्ति, कंपनी, फर्म, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, स्थानीय प्राधिकरण आदि।
मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year)	वह वर्ष जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है (उदा: FY 2024-25 की आय का AY 2025-26 में मूल्यांकन)।
पूर्ववर्ती वर्ष (Previous Year)	वह वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है। यह आमतौर पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

□ 4. आय के स्रोत (Heads of Income)

भारतीय आयकर अधिनियम में कुल **5 प्रकार की आय** को परिभाषित किया गया है:

1. **वेतन से आय (Income from Salary)**
   □ कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त वेतन, भत्ता, बोनस आदि
2. **गृह संपत्ति से आय (Income from House Property)**
   □ किराये से प्राप्त आय
3. **व्यवसाय या पेशे से आय (Profits and Gains of Business or Profession)**
   □ व्यापार, फ्रीलांसिंग, पेशेवर सेवाओं से आय
4. **पूंजीगत लाभ (Capital Gains)**
   □ संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त लाभ
5. **अन्य स्रोत से आय (Income from Other Sources)**
   □ ब्याज, लाभांश, लॉटरी जीत, गिफ्ट आदि

□ 5. कर की गणना कैसे होती है? (Tax Calculation Process)

1. सभी स्रोतों की **सकल आय (Gross Total Income)** जोड़ना
2. **धारा 80C से 80U** तक की **कटौतियाँ (Deductions)** घटाना
3. जो बचे – वह है **शुद्ध कुल आय (Net Taxable Income)**
4. इस पर **आयकर स्लैब के अनुसार** कर लगाना

□ 6. कर दरें (Tax Rates)

व्यक्तियों के लिए दो प्रकार की कर प्रणालियाँ उपलब्ध हैं:

1. **पुरानी कर प्रणाली (Old Regime):**
   जिसमें विभिन्न छूट (80C, 80D आदि) मिलती हैं
2. **नई कर प्रणाली (New Regime):**
   कम दरों पर कर लेकिन छूटें नहीं मिलतीं

उदाहरण के लिए:

आय	पुरानी दर	नई दर
₹0 - ₹2.5 लाख	कोई कर नहीं	कोई कर नहीं
₹2.5 लाख – ₹5 लाख	5%	5%
₹5 लाख – ₹7.5 लाख	20%	10%
₹7.5 लाख – ₹10 लाख	20%	15%
₹10 लाख से अधिक	30%	20%-30%

ध्यान दें: वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट मिलती है।

□ 7. आयकर रिटर्न (Income Tax Return – ITR)

हर करदाता को अपनी आय का विवरण **ITR फॉर्म** के माध्यम से देना होता है। इसमें यह बताना होता है कि किस स्रोत से कितनी आय हुई और कितना कर दिया गया।

सामान्य ITR प्रकार:

फॉर्म	किसके लिए है
ITR-1	वेतनभोगी/एक घर की संपत्ति वाले
ITR-2	वेतन + पूंजीगत लाभ
ITR-3	व्यापार/पेशेवर आय
ITR-4	presumptive income वालों के लिए

□ 8. कर कटौती और स्रोत पर कर (TDS)

TDS (Tax Deducted at Source) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर पहले ही काट लिया जाता है जैसे वेतन, बैंक ब्याज आदि पर।

यह एक **अग्रिम कर संग्रह प्रणाली** है जिससे सरकार को नियमित राजस्व प्राप्त होता है।

□ 9. दंड और अभियोजन (Penalties and Prosecution)

अगर कोई करदाता:

- रिटर्न नहीं भरता है
- गलत सूचना देता है
- टैक्स चोरी करता है

तो उस पर जुर्माना, ब्याज और/या जेल तक की सज़ा हो सकती है।

□ 10. संशोधन और बजट प्रभाव

हर वर्ष भारत सरकार **वित्त अधिनियम (Finance Act)** के माध्यम से आयकर अधिनियम में संशोधन करती है।
□ जैसे – स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, नई स्लैब्स, छूट की सीमाएँ आदि।

अधिनियम, 1961 भारतीय आयकर

(Bharatiya Aaykar Adhiniyam, 1961) का इतिहास (History)
भारत के कर व्यवस्था (tax system) के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है। इसका उद्देश्य भारत में आय पर कर लगाने और संग्रह करने के लिए एक संगठित ढांचा प्रदान करना था। इस अधिनियम के विकास की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संशोधन और वर्तमान स्वरूप को गहराई से समझने के लिए हमें इसके इतिहास पर विस्तृत दृष्टि डालनी होगी।

□ 1. पृष्ठभूमि (Background) – ब्रिटिश काल में आयकर

• प्रारंभिक कर व्यवस्था (1860 से पहले) :

भारत में संगठित रूप से आय पर कर लगाने की कोई प्रणाली नहीं थी। कर वसूली मुख्यतः ज़मींदारी, व्यापारिक शुल्क और कृषि करों पर आधारित थी।

• पहला आयकर कानून: 1860

- लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के बाद सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में पहली बार **आयकर कानून (Income Tax Act)** लागू किया।
- यह कानून अस्थायी था और 1865 तक लागू रहा।

• बाद के कानून:

- 1865, 1867, 1871, 1886, 1918 और 1922 में नए आयकर कानून बने।
- **1922 का आयकर अधिनियम** (Indian Income Tax Act, 1922) सबसे स्थायी और प्रभावशाली रहा। इसे **ब्रिटिश भारत** में लागू किया गया और स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों तक चलता रहा।

□ 2. भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 का गठन (Formation of Income Tax Act, 1961)

• स्वतंत्रता के बाद की स्थिति:

स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, लेकिन 1922 का अधिनियम पुराना और जटिल हो चुका था। उसमें बार-बार संशोधन के कारण उसकी भाषा और ढांचा बहुत उलझ गया था।

• आयोग की स्थापना:

- सरकार ने 1956 में **आयकर जाँच आयोग (Law Commission)** और फिर **डॉ. जॉन टी हिक्स (Nicholas Committee)** की सिफारिशों के आधार पर एक नया कानून बनाने का निर्णय लिया।

• 1961 का अधिनियम:

- **आयकर अधिनियम, 1961** को **1 अप्रैल 1962** से पूरे भारत में लागू किया गया।
- यह अधिनियम **1961 में संसद द्वारा पारित** किया गया था और इसमें **298 धाराएं (Sections)** और **14 अनुसूचियाँ (Schedules)** थीं (आरंभिक रूप में)।

□ 3. मुख्य उद्देश्य (Main Objectives)

- आयकर की गणना, संग्रह और भुगतान की स्पष्ट प्रक्रिया बनाना।
- करदाताओं और सरकार के बीच उत्तरदायित्व और अधिकार तय करना।
- आयकर अपील, पुनरीक्षण और दंड के नियम निर्धारित करना।

- कर चोरी (tax evasion) और काले धन (black money) पर नियंत्रण।

□ 4. अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Key Features of Income Tax Act, 1961)

विशेषता	विवरण
प्रभाव क्षेत्र	संपूर्ण भारत
कराधान का आधार	व्यक्ति की कुल वार्षिक आय
करदाता	व्यक्ति, Hindu Undivided Family (HUF), कंपनी, साझेदारी फर्म, ट्रस्ट, स्थानीय प्राधिकरण, आदि
आय के स्रोत	वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, व्यापार/व्यवसाय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोत
निर्धारण वर्ष (Assessment Year)	वह वर्ष जिसमें आय की गणना और कर की मांग की जाती है
पूर्ववर्ती वर्ष (Previous Year)	वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है

□ 5. समय-समय पर संशोधन (Amendments Over Time)

- यह अधिनियम समय-समय पर संशोधित होता रहा है। हर वर्ष संसद **वित्त अधिनियम (Finance Act)** के माध्यम से इसमें बदलाव करती है।
- कुछ बड़े बदलाव:
  - **GST का आगमन (2017)** ने अप्रत्यक्ष करों को प्रभावित किया।
  - **डिजिटल इंडिया पहल**, e-filing, और PAN-Aadhaar लिंकिंग।
  - **2016 में "प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Tax Code)"** लाने की कोशिश।
  - **2020 में नई वैकल्पिक कर व्यवस्था (New Tax Regime)**।
  - **2021-2023**: क्रिप्टो करेंसी पर कर, TDS/TCS के नए प्रावधान आदि।

□ 6. आज का स्वरूप (Present Structure)

आयकर अधिनियम, 1961 अब एक बहुत ही जटिल लेकिन संगठित कानून बन चुका है जिसमें:

- **300+ धाराएं**
- **अनेक अधिसूचनाएं (Notifications)**
- **CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)** द्वारा जारी दिशा-निर्देश
- **ITR Forms**, **TDS**, **Advance Tax**, **Self-Assessment**, **Appeals**, आदि शामिल हैं।

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (Bhartiya Aaykar Adhiniyam, 1961) की **मूल अवधारणाएँ (Fundamental Concepts)** इस अधिनियम की रीढ़ हैं। ये अवधारणाएँ यह निर्धारित करती हैं कि किसे कर देना है, कितनी आय पर देना है, कब देना है, और किस प्रकार देना है। इन अवधारणाओं की गहरी समझ करदाता (Taxpayer), छात्र, और वित्तीय पेशेवरों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

□ भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की मूल अवधारणाएँ (Fundamental Concepts of Income Tax Act, 1961)

1. आय (Income) की अवधारणा

"आय" का कोई एक निश्चित या सीमित अर्थ नहीं है। आय एक विस्तृत शब्द है जो विभिन्न स्रोतों से अर्जित लाभ, वेतन, ब्याज, किराया, लाभांश आदि को सम्मिलित करता है।

• आय के स्रोत:

आय को मुख्यतः **6 प्रमुख स्रोतों** में बाँटा गया है:

स्रोत (Head)	विवरण (Explanation)
1. वेतन (Salary)	कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से प्राप्त आय जैसे मूल वेतन, भत्ते, बोनस आदि।
2. गृह संपत्ति से आय (Income from House Property)	मकान/इमारत से प्राप्त किराया।
3. व्यापार या पेशा (Profits and Gains of Business or Profession)	व्यापार, पेशे या व्यवसाय से प्राप्त लाभ।
4. पूंजीगत लाभ (Capital Gains)	संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ (जैसे जमीन, शेयर)।
5. अन्य स्रोत (Income from Other Sources)	बाकी सभी आय जैसे ब्याज, लॉटरी, गिफ्ट आदि।
6. कृषि आय (Agricultural Income)*	विशिष्ट मामलों में पूरी तरह से कर मुक्त होती है।

2. कर योग्य व्यक्ति (Assessee)

वह व्यक्ति जिससे आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर वसूला जा सकता है।

- **विभिन्न प्रकार के करदाता:**

प्रकार	उदाहरण
व्यक्ति (Individual)	आम नागरिक
हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)	पारिवारिक व्यवसाय
कंपनी (Company)	प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी
फर्म / LLP	साझेदारी फर्म
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP)	क्लब या समिति
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI)	व्यक्तियों का समूह
स्थानीय प्राधिकरण	नगरपालिका, पंचायत
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Artificial Juridical Person)	ट्रस्ट, विश्वविद्यालय

3. आय का निर्धारण वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष (Assessment Year & Previous Year)

- **पूर्ववर्ती वर्ष (Previous Year):**
  - वह वित्तीय वर्ष जिसमें आय कमाई जाती है।
  - उदाहरण: यदि आय 2024-25 में कमाई गई, तो यह **पूर्ववर्ती वर्ष** है।
- **निर्धारण वर्ष (Assessment Year):**
  - वह वर्ष जिसमें आय का आकलन और कर भुगतान किया जाता है।
  - उदाहरण: 2025-26 होगा **निर्धारण वर्ष** यदि आय 2024-25 में कमाई गई है।

✓**सामान्य नियम:** आय को अर्जित करने के अगले साल टैक्स देना होता है।

4. भारत में स्थायी निवास की स्थिति (Residential Status)

यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की किस आय पर कर लगेगा — केवल भारत की आय या वैश्विक आय।

- **प्रकार:**

स्थिति	कराधान सीमा
निवासी (Resident)	भारत और विदेश – दोनों जगह की आय कर योग्य
अनिवासी (Non-Resident)	केवल भारत में अर्जित आय पर कर
RNOR (Resident but Not Ordinarily Resident)	सीमित विदेशी आय कर योग्य होती है

5. कुल आय और सकल कुल आय (Total Income & Gross Total Income)

- **सकल कुल आय (Gross Total Income - GTI):**
  - सभी स्रोतों से आय को जोड़कर बनती है (सभी 5 मुख्य स्रोतों से)।
- **कुल आय (Total Income):**
  - सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ घटाने के बाद जो बचती है, वही कुल आय होती है।

सूत्र:

सकल कुल आय – छूट (Deductions under Chapter VI-A) = कुल आय (Taxable Total Income)

6. कटौतियाँ (Deductions) – धारा 80C से 80U

सरकार कुछ खास खर्चों और निवेशों पर टैक्स में छूट देती है ताकि बचत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।

धारा	उद्देश्य
80C	जीवन बीमा, PPF, NSC, ELSS आदि में निवेश पर छूट
80D	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट
80G	दान पर छूट
80TTA	सेविंग अकाउंट ब्याज पर छूट
80U	दिव्यांग व्यक्ति के लिए छूट

7. आयकर की दरें (Tax Rates / Slabs)

- **दो प्रणाली:**

1. **पुरानी प्रणाली (With Exemptions)**
2. **नई प्रणाली (Without Exemptions)**

(अद्यतन दरें हर वर्ष बजट में घोषित होती हैं।)

8. TDS (Tax Deducted at Source) की अवधारणा

TDS का अर्थ है – किसी भुगतान (जैसे वेतन, किराया, ब्याज) से पहले ही तय प्रतिशत में टैक्स काट लिया जाता है और सरकार को जमा कर दिया जाता है।

- इससे टैक्स चोरी पर नियंत्रण रहता है।
- अंतिम करदाता अपने टैक्स रिटर्न में इसका समायोजन कर सकता है।

9. अग्रिम कर (Advance Tax)

यदि आपकी अनुमानित कर देनदारी ₹10,000 से अधिक है तो पूरे साल में कुछ विशेष तिथियों पर **अग्रिम कर** जमा करना होता है।

10. आकलन (Assessment) प्रक्रिया

आयकर विभाग करदाता की आय और टैक्स विवरण की जाँच करता है।

प्रकार	विवरण
स्वयं आकलन (Self-Assessment)	खुद से रिटर्न दाखिल करना
नियमित आकलन (Regular Assessment)	विभाग द्वारा जांच
स्क्रूटनी आकलन	विस्तृत जाँच
बेस्ट जजमेंट आकलन	विभाग द्वारा अनुमान आधारित

11. माफ़ी, दंड और अपील (Penalties and Appeals)

- यदि कोई व्यक्ति आय छिपाता है, TDS जमा नहीं करता, या समय पर रिटर्न नहीं दाखिल करता है तो उसे **जुर्माना** या **सजा** दी जा सकती है।

1 **आय (Income)**

2कृषि आय (Krishi Aay / Agricultural Income)

3आकस्मिक आय (Aakasmik Aay / Casual Income)

ये तीनों अवधारणाएँ भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत **विभिन्न प्रकार से टैक्स लागू/मुक्त** होती हैं। आइए एक-एक करके इनका विस्तृत विश्लेषण करते हैं:

□ 1. आय (Income) की संकल्पना

➤आय क्या है?

आय का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष अवधि (जैसे वित्तीय वर्ष) में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन या धन के बराबर लाभ।

➤आय के स्रोत: (धारा 14 के अनुसार)

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, **आय को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है**:

स्रोत का नाम	उदाहरण
1. वेतन (Salary)	कंपनी से प्राप्त वेतन, बोनस, भत्ता
2. गृह संपत्ति से आय (House Property)	किराया आय
3. व्यवसाय या पेशे से आय (Business or Profession)	दुकानदार, डॉक्टर, वकील की आमदनी
4. पूंजीगत लाभ (Capital Gains)	संपत्ति, शेयर बेचने से लाभ
5. अन्य स्रोत से आय (Income from Other Sources)	लॉटरी, उपहार, ब्याज आदि

□ "कृषि आय" और "आकस्मिक आय" इनमें विशेष रूप से **अलग प्रकार की** होती हैं। अब उन्हें विस्तार से समझते हैं।

□ 2. कृषि आय (Krishi Aay / Agricultural Income)

➤परिभाषा:

कृषि आय का अर्थ है – **कृषि कार्य** (जैसे खेती, बागवानी, खेती की जमीन से प्राप्त किराया या कृषि उपज से प्राप्त लाभ) से होने वाली आय।

➤आयकर अधिनियम की धारा:

धारा 10(1) के अंतर्गत **कृषि आय पूरी तरह से कर मुक्त (Exempt)** होती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।

➤कृषि आय के अंतर्गत शामिल कार्य:

क्र.	कार्य	विवरण
1	खेती	धान, गेहूं, कपास, सब्जियों आदि की खेती
2	बागवानी	फल, फूल, चाय, कॉफी, रबर की खेती
3	भूमि से किराया	कृषि भूमि को किराए पर देना
4	प्रोसेसिंग	चाय, कॉफी, रबर की प्रोसेसिंग (कुछ हिस्से तक ही)

➤कर से छूट की शर्तें (Exemption Conditions):

1. **भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए।**
2. आय कृषि कार्यों से होनी चाहिए, जैसे – बुवाई, सींचाई, कटाई, थ्रेसिंग।
3. सहायक गतिविधियाँ जैसे पैकिंग, प्रोसेसिंग आदि केवल उसी हद तक स्वीकार्य हैं जो कृषि का हिस्सा हों।

➤आंशिक रूप से कृषि + गैर-कृषि आय वाले मामले:

उदाहरण –
यदि चाय का प्लांटेशन किया गया और उसके पत्तों को प्रोसेस कर चाय बेची गई:

- तो यह **आंशिक कृषि और आंशिक व्यावसायिक आय** मानी जाएगी।

फसल	कृषि आय (%)	व्यापारिक आय (%)
चाय	60%	40%

फसल	कृषि आय (%)	व्यापारिक आय (%)
कॉफी (गैर-मिलाया हुआ)	75%	25%
कॉफी (मिलाया हुआ)	60%	40%
रबर	65%	35%

➤कृषि आय और कर निर्धारण (Tax Treatment):

- **प्रत्यक्ष कर नहीं लगता**, लेकिन अगर कृषि आय ₹5 लाख से अधिक हो और अन्य आय भी हो, तो इसे "Rate Purposes" के लिए लिया जाता है, जिससे प्रभावी टैक्स रेट बढ़ सकता है।

□ 3. आकस्मिक आय (Aakasmik Aay / Casual Income)

➤परिभाषा:

आकस्मिक आय वह होती है जो **अचानक, अनियमित रूप से और अप्रत्याशित** तरीके से प्राप्त होती है और जिसका कोई नियमित स्रोत नहीं होता।

उदाहरण:

- लॉटरी जीतना
- गेम शो (जैसे KBC)
- घुड़दौड़ से आय
- उपहार (Gift) – कुछ शर्तों में
- ऑनलाइन गेमिंग या सट्टे से आय

➤आयकर अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण:

- आकस्मिक आय **"Other Sources"** के अंतर्गत आती है।
- इस पर **फ्लैट टैक्स रेट** (Flat Rate) लागू होती है।

स्रोत	कर दर
लॉटरी	30% + सेस
घुड़दौड़	30%
गेम शो	30%
क्रिप्टोकरेंसी (कुछ मामलों में) *	30%

✅**नोट**: आकस्मिक आय पर किसी तरह की कटौती (जैसे 80C, खर्च, छूट) **लागू नहीं होती**

➤**TDS (Tax Deducted at Source):**

- आकस्मिक आय पर भुगतानकर्ता (जैसे गेम शो आयोजक) **30% TDS काटते हैं**, और करदाता को शेष राशि मिलती है।

➤आकस्मिक आय की विशेषताएँ:

विशेषता	विवरण
अनियमित	नियमित आमदनी नहीं होती
पूर्व योजना नहीं	यह अचानक मिलती है
कर योग्य	अधिकतर आकस्मिक आय पर सीधा टैक्स लागू
कटौती नहीं	खर्च या निवेश की कोई कटौती नहीं मिलती

✅संक्षिप्त तुलना तालिका:

बिंदु	आय	कृषि आय	आकस्मिक आय
परिभाषा	किसी भी स्रोत से प्राप्त लाभ	खेती/कृषि से प्राप्त आय	अचानक प्राप्त लाभ
कर योग्य	हाँ	नहीं (कुछ मामलों में)	हाँ (सीधे 30%)
अधिनियम में स्थान	संपूर्ण	धारा 10(1)	"Other Sources"
कटौती मिलती है?	हाँ	लागू नहीं	नहीं
स्थायित्व	नियमित	मौसमी/स्थायी	अनियमित

"Previous Year" और "Assessment Year" की अवधारणाओं
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की सबसे **मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं** हैं।

इन दोनों की गहराई से हिंदी में व्याख्या इस प्रकार है:

1. परिचय (Introduction)

आयकर अधिनियम में, किसी व्यक्ति की आय पर टैक्स उसी समय नहीं लगता जब वह आय कमाई जाती है। बल्कि, उसे **अगले वर्ष** आकलन (Assessment) के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

इसलिए यहां दो अवधारणाएँ आती हैं:

1. **पूर्ववर्ती वर्ष (Previous Year)** – जब आय कमाई जाती है
2. **निर्धारण वर्ष (Assessment Year)** – जब आय का मूल्यांकन (Assessment) और टैक्स वसूली होती है

□ 2. पूर्ववर्ती वर्ष (Previous Year) – [धारा 3, Section 3]

➤परिभाषा:

"पूर्ववर्ती वर्ष" वह वित्तीय वर्ष होता है जिसमें करदाता अपनी आय कमाता है।

यह अवधि होती है:

1 अप्रैल से 31 मार्च तक

□ उदाहरण:

यदि कोई व्यक्ति अपनी आय **1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025** के बीच कमाता है, तो यह वर्ष कहलाएगा:
➡ **पूर्ववर्ती वर्ष 2024-25**

➤मुख्य विशेषताएँ:

बिंदु	विवरण
अवधि	12 महीने: 1 अप्रैल से 31 मार्च
उद्देश्य	आय कमाई जाने का वर्ष
सभी करदाताओं के लिए समान?	हाँ
व्यवसाय शुरू होने पर?	व्यवसाय शुरू होने की तारीख से 31 मार्च तक
कर लगता है?	नहीं, मूल्यांकन अगले साल होता है

□ 3. निर्धारण वर्ष (Assessment Year) – [Also Section 3]

➢परिभाषा:

"निर्धारण वर्ष" वह वर्ष होता है जिसमें आयकर विभाग पूर्ववर्ती वर्ष की आय का मूल्यांकन करता है और कर वसूलता है।

यह हमेशा **पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक बाद आने वाला वित्तीय वर्ष** होता है।

□ उदाहरण:

अगर आपकी आय **2024-25** (पूर्ववर्ती वर्ष) में हुई है, तो उस पर मूल्यांकन और टैक्स **2025-26** (निर्धारण वर्ष) में किया जाएगा।

➢मुख्य विशेषताएँ:

बिंदु	विवरण
अवधि	1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक
उद्देश्य	आय का आकलन और टैक्स वसूली
कौन करता है?	आयकर विभाग (Income Tax Department)
टैक्स रेट लागू होता है?	हाँ, इस वर्ष के Finance Act से

□ Previous Year vs Assessment Year: अंतर (Differences)

बिंदु	Previous Year	Assessment Year
अर्थ	वह वर्ष जिसमें आय अर्जित होती है	वह वर्ष जिसमें आय का मूल्यांकन होता है
अवधि	पहले आता है	बाद में आता है
टैक्स लगता है?	नहीं	हाँ
आय कमाई जाती है?	हाँ	नहीं
फाइलिंग की जाती है?	नहीं	हाँ, रिटर्न इसी साल में भरते हैं
उदाहरण	2024-25	2025-26

□ विशेष स्थिति: व्यवसाय की शुरुआत वाला साल

जब कोई नया व्यवसाय शुरू होता है, तो उस पहले साल की आय पर भी टैक्स **उसी निर्धारण वर्ष** में लगता है।

उदाहरण:

- व्यवसाय शुरू किया: 1 जुलाई 2024
- पहली बार आय कमाई: 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025
- यह भी कहलाएगा: **पूर्ववर्ती वर्ष 2024-25**
- निर्धारण वर्ष रहेगा: **2025-26**

□ क्यों ज़रूरी हैं ये अवधारणाएँ?

कारण	विवरण
टैक्स निर्धारण योजना	सरकार को मालूम होता है कि कौन-सी आय पर कब टैक्स लगाना है
रिकॉर्ड	करदाता को समय मिलता है टैक्स की योजना बनाने के लिए
टैक्स दरें	आयकर रिटर्न सही समय पर फाइल किया जा सके
	निर्धारण वर्ष की दरों से टैक्स की गणना होती है

– **"Gross"** शब्द का हिंदी में गहराई से अर्थ और व्याख्या (Deep Explanation)। यह शब्द विभिन्न संदर्भों में उपयोग होता है – जैसे "Gross Income", "Gross Salary", "Gross Profit" आदि।

इसलिए हम यहां "Gross" शब्द का **सामान्य अर्थ** और फिर **वित्तीय (Financial) व व्यावसायिक संदर्भों में इसका विश्लेषण** करेंगे।

□ 1. "Gross" का सामान्य हिंदी अर्थ:

Gross का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है:
□ "**सकल**",
□ "**कुल**",
□ "**पूर्ण मात्रा में**",
□ "**काट-छाँट या कटौतियों से पहले की राशि**"

अर्थात् जब किसी चीज़ से **कोई कटौती नहीं की गई होती**, तो वह "Gross" होती है।

□ 2. वित्तीय और लेखांकन (Accounting) में "Gross" की भूमिका

वित्तीय क्षेत्र में "Gross" शब्द का इस्तेमाल किसी **कुल राशि**, आय या मूल्य को दर्शाने के लिए किया जाता है **जिसमें से कोई खर्च, टैक्स या कटौती नहीं की गई हो।**

□ उदाहरणों के साथ समझें:

1. Gross Income (सकल आय) :

वह कुल आय जो किसी व्यक्ति ने कमाई है, **किसी भी प्रकार की कटौती (जैसे टैक्स, निवेश की छूट

आपने पूछा है **"Gross"** शब्द का हिंदी में गहराई से अर्थ और व्याख्या।
यह शब्द आम तौर पर **वित्त (Finance), व्यापार (Business), वेतन (Salary), और लेखा (Accounting)** जैसे क्षेत्रों में बहुत प्रयोग किया जाता है।

□ Gross का हिंदी में अर्थ – विस्तृत व्याख्या

□ हिंदी में "Gross" का सामान्य अर्थ होता है:

"सकल", "कुल", या "पूर्ण" (जिसमें से कोई भी कटौती या खर्च नहीं किया गया हो)

□ सरल शब्दों में समझें:

Gross वह राशि है जो किसी ने **कमाई है या प्राप्त की है**, लेकिन **उसमें से कोई खर्च, टैक्स, कटौती या शुल्क नहीं घटाया गया है।**

जैसे ही उसमें से खर्च या कटौतियाँ घटा दी जाती हैं, वह बन जाती है **Net (नेट)** — यानी **"शुद्ध" राशि**।

□ Gross vs Net का अंतर – एक नजर में:

मापदंड	Gross (सकल)	Net (शुद्ध)
परिभाषा	कुल राशि बिना किसी कटौती के	कटौतियों के बाद बची राशि
कटौतियाँ	शामिल नहीं होती	सभी कटौतियाँ घटाने के बाद
उपयोग	आमदनी, मुनाफा, वेतन आदि	वास्तविक प्राप्त राशि दर्शाने के लिए

□ Gross के प्रमुख उपयोग और उदाहरण

1. Gross Salary (सकल वेतन)

यह वह कुल वेतन होता है जो कर्मचारी को मिलना निर्धारित है, जिसमें सभी भत्ते शामिल होते हैं, लेकिन टैक्स और अन्य कटौतियाँ शामिल नहीं होतीं।

उदाहरण:

अगर किसी की **Gross Salary ₹50,000** है:

- उसमें HRA, TA, DA आदि शामिल होंगे।
- लेकिन EPF, टैक्स, प्रोविडेंट फंड जैसी कटौतियाँ नहीं घटाई गई होंगी।

 कटौतियाँ घटाने के बाद जो हाथ में आएगा, वह कहलाएगा: **Net Salary (नेट वेतन)**

2. Gross Income (सकल आय)

किसी व्यक्ति या संस्था की वह कुल आय, जो उसे सभी स्रोतों से मिलती है, **बिना कोई खर्च घटाए।**

उदाहरण:

मान लीजिए आपकी आय है:

- वेतन से ₹5,00,000
- किराये से ₹2,00,000
- फ्रीलांसिंग से ₹1,00,000

  ➡ तो **Gross Income = ₹8,00,000**

अगर आपने टैक्स बचत, निवेश आदि किए, तो कटौती के बाद जो आय बचेगी, वह **Net Income** कहलाएगी।

3. Gross Profit (सकल लाभ)

व्यापार में, **Gross Profit** का अर्थ होता है –
बिक्री से प्राप्त राशि में से माल की लागत (Cost of Goods Sold – COGS) घटाने के बाद बची राशि।

सूत्र:

```
Gross Profit = Net Sales – Cost of Goods Sold
```

उदाहरण:

- बिक्री = ₹10,00,000
- लागत = ₹6,00,000

  ➡ **Gross Profit = ₹4,00,000**

(इसमें से ऑपरेटिंग खर्च, टैक्स आदि घटाकर Net Profit निकाला जाता है)

4. Gross Domestic Product (GDP) – सकल घरेलू उत्पाद

किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल (Gross) मौद्रिक (Monetary) कीमत।

यह देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। GDP में से अगर डिप्रिसिएशन घटा दें तो वह बनता है – **Net Domestic Product (NDP)**।

□ Gross शब्द के पर्यायवाची (Synonyms in Hindi):

- सकल
- कुल
- पूर्ण
- बिना कटौती
- आरंभिक (initial)

आपका प्रश्न है: **"Gross Total Income"** और **"Total Income"** में क्या अंतर है? इन्हें हिंदी में गहराई से समझाया जाए।

ये दोनों शब्द **भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961)** के **अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं (key concepts)** हैं, जो किसी करदाता (assessee) की आय की गणना के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं।

1. Gross Total Income (GTI) – सकल कुल आय

➤परिभाषा:

सकल कुल आय (Gross Total Income) का अर्थ है **सभी स्रोतों से अर्जित कुल आय**, जो आयकर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आती है, **बिना किसी कटौती (deduction) को घटाए हुए।**

□ यह आय के 5 प्रमुख स्रोतों से मिलकर बनती है:

स्रोत	विवरण
1. वेतन से आय (Income from Salary)	वेतन, भत्ते, बोनस आदि
2. मकान संपत्ति से आय (Income from House Property)	किराया
3. व्यवसाय/पेशा से लाभ (Business/Profession)	व्यापार, व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ
4. पूंजीगत लाभ (Capital Gains)	जमीन, शेयर आदि बेचने से प्राप्त लाभ
5. अन्य स्रोत से आय (Other Sources)	ब्याज, उपहार, लॉटरी, डिविडेंड आदि

✓**ध्यान दें:** GTI में आय जोड़ने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि आय "कर योग्य (taxable)" हो। **कर मुक्त (Exempt)** आय जैसे कि कृषि आय (Section 10 के तहत) को इसमें शामिल नहीं किया जाता।

□ उदाहरण:

मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय निम्न प्रकार है:

स्रोत	आय (₹)
वेतन	₹6,00,000
किराया	₹1,20,000
व्यवसाय से लाभ	₹2,00,000
शेयर से पूंजीगत लाभ	₹50,000
बैंक ब्याज	₹30,000

➡ **GTI = ₹6,00,000 + ₹1,20,000 + ₹2,00,000 + ₹50,000 + ₹30,000 = ₹10,00,000**

2. Total Income

कुल आय (या शुद्ध आय / Net Taxable Income)

➢परिभाषा:

Total Income वह आय होती है जो GTI में से **धारा 80C से 80U के अंतर्गत मिलने वाली कटौतियाँ (Deductions)** घटाने के बाद प्राप्त होती है।

यही वह राशि होती है जिस पर वास्तव में **आयकर की गणना की जाती है।**

□ सूत्र:

```
Gross Total Income – कटौतियाँ (Chapter VI-A under Sections 80C to 80U)
= Total Income
```

□ उदाहरण (ऊपर वाला ही लें):

- **GTI = ₹10,00,000**
- मान लीजिए व्यक्ति ने:
  - ₹1,50,000 का निवेश 80C के तहत (PPF, LIC आदि)
  - ₹25,000 का मेडिक्लेम 80D के तहत
  - ₹50,000 NPS में (80CCD(1B))

➡ कुल कटौतियाँ = ₹2,25,000

➡ **Total Income = ₹10,00,000 – ₹2,25,000 = ₹7,75,000**

✓अब इस ₹7,75,000 पर टैक्स की गणना की जाएगी।

□ Gross Total Income और Total Income में अंतर (Difference Table in Hindi)

आधार	Gross Total Income (सकल कुल आय)	Total Income (कुल/शुद्ध आय)
अर्थ	सभी स्रोतों से अर्जित कुल कर योग्य आय	GTI से कटौतियाँ घटाने के बाद की राशि
कटौती शामिल?	नहीं	हाँ (80C से 80U तक)
आयकर की गणना	इस पर नहीं होती	इस पर टैक्स की गणना होती है
उपयोग	कटौतियों की पात्रता जांचने हेतु	अंतिम टैक्स देनदारी तय करने हेतु
अधिनियम में	धारा 14 के तहत	धारा 2(45) के अनुसार परिभाषित

आधार	Gross Total Income (सकल कुल आय)	Total Income (कुल/शुद्ध आय)
स्थान		

□ ध्यान देने योग्य बातें:

1. GTI में केवल **कर योग्य आय** ही शामिल की जाती है।
2. Tax saving निवेशों, खर्चों (जैसे LIC, PPF, Health Insurance, NPS, आदि) से GTI कम होती है।
3. ITR फॉर्म में सबसे पहले GTI दर्शाई जाती है, फिर Deductions दिखाई जाती हैं, और अंत में Total Income आती है।

□ "Person, Assessee, और Exempted Income"

इन तीनों शब्दों का हिंदी में गहराई से अर्थ और व्याख्या।

यह तीनों अवधारणाएँ **भारतीय आयकर अधिनियम, 1961** की **नींव (foundation)** मानी जाती हैं, और ये आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

□ विषय सूची (Table of Contents)

1. **Person (व्यक्ति)**
2. **Assessee (आकलनकर्ता / करदाता)**
3. **Exempted Income (करमुक्त आय)**
4. **तीनों के बीच संबंध**
5. **निष्कर्ष (Conclusion)**

□ 1. व्यक्ति (Person)

➤परिभाषा (धारा 2(31) के अनुसार):

"व्यक्ति" का अर्थ केवल एक इंसान (individual) नहीं होता, बल्कि हर वह इकाई जिसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर देना पड़ सकता है।

□ व्यक्ति के प्रकार:

व्यक्ति का प्रकार	उदाहरण
1. **व्यक्तिगत व्यक्ति** (Individual)	राम, श्याम, आदि
2. **HUF** (हिंदू अविभाजित परिवार)	पारिवारिक व्यापार
3. **कंपनी**	TATA, Reliance, आदि
4. **फर्म / LLP**	XYZ & Co.
5. **AOP (व्यक्तियों का संघ)**	क्लब या सोसायटी
6. **BOI (व्यक्तियों का समूह)**	लॉटरी विजेता समूह
7. **स्थानीय प्राधिकरण**	नगर निगम
8. **कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति**	विश्वविद्यालय, ट्रस्ट आदि

✓इस प्रकार, "व्यक्ति" का अर्थ है – कोई भी कानूनी इकाई जो आय कमा सकती है।

□ 2. आकलनकर्ता (Assessee)

➤परिभाषा (धारा 2(7) के अनुसार) :

"Assessee" वह व्यक्ति है **जिससे आयकर वसूला जाता है** या जिसकी **आय की जांच/आकलन** आयकर विभाग द्वारा किया जाता है।

□ Assessee के प्रकार :

प्रकार	विवरण
सामान्य Assessee	जिसने कर योग्य आय अर्जित की है
निरपवाद Assessee	जिसकी कोई आय नहीं है लेकिन रिटर्न भरना अनिवार्य है (जैसे उच्च मूल्य के लेन-देन करने वाले)
प्रतिनिधि Assessee	जैसे – माता-पिता नाबालिग बच्चे की आय पर टैक्स देते हैं
कानूनी उत्तराधिकारी	मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी
डिफॉल्टर Assessee	जिसने कर नहीं भरा या छुपाया है

✓हर Assessee एक Person होता है, लेकिन हर Person जरूरी नहीं कि Assessee हो।

□ 3. करमुक्त आय (Exempted Income)

➤परिभाषा:

ऐसी आय जिसे **आयकर अधिनियम के तहत कर से छूट (Tax Exemption)** दी गई है।

यह आय करदाता (assessee) की कुल आय में **शामिल नहीं की जाती**, और इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता।

□ करमुक्त आय की प्रमुख श्रेणियाँ (Section 10 के तहत):

धारा	करमुक्त आय का प्रकार	उदाहरण
10(1)	**कृषि आय**	फसल, फल, सब्जियों से प्राप्त लाभ
10(10D)	बीमा पर प्राप्त राशि	LIC पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट
10(16)	छात्रवृत्ति	सरकारी स्कॉलरशिप
10(10)	सेवानिवृत्ति लाभ	ग्रेच्युटी
10(34)	डिविडेंड आय	शेयर से प्राप्त लाभांश (कुछ शर्तों पर)
10(38)*	पूंजीगत लाभ	कुछ पुराने शेयर लाभ (अब हटा दिया गया है)
10(23C)	ट्रस्ट की आय	NGO, धार्मिक संस्था

✓ऐसी आय को **"Gross Total Income" में शामिल नहीं किया जाता।**

□ करमुक्त आय ≠ कर से बचाई गई आय

- **Tax Exempted Income**: पूरी तरह से कानूनन टैक्स फ्री।
- **Tax Deducted Income**: टैक्स बचाने के लिए धारा 80C वगैरह के तहत कटौती की जाती है।

□ 4. □ संबंध: व्यक्ति, आकलनकर्ता और करमुक्त आय

बिंदु	विवरण
Person	वह कानूनी इकाई जो आय कमा सकती है
Assessee	वह व्यक्ति जो कर देता है या जिससे विभाग टैक्स वसूलता है
Exempted Income	वह आय जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, भले ही Assessee ने वह अर्जित की हो

□ उदाहरण से समझें:

□□ **राम** एक किसान है:

- वह एक **व्यक्ति** है (Individual)
- उसने इस साल 8 लाख रुपये की कृषि आय कमाई → यह **करमुक्त आय** है (Section 10(1))
- यदि उसके पास अन्य टैक्स योग्य आय भी है (जैसे किराया) → तो वह एक **Assessee** बनेगा

□ वास्तविक जीवन उदाहरण:

□□ **रवि** एक छात्र है:

- उसे सरकार से ₹50,000 की छात्रवृत्ति मिलती है → **Exempted Income (धारा 10(16))**
- अगर उसकी कोई अन्य आय नहीं है → वह **Assessee नहीं** कहलाएगा
- लेकिन यदि रवि ऑनलाइन ट्यूशन से ₹2 लाख कमाता है → अब वह **Assessee** भी बन गया

"निवास स्थान एवं कर दायित्व"

(Residential Status and Tax Liability)

–यह विषय **भारतीय आयकर अधिनियम, 1961** का एक **आधारभूत (Fundamental)** विषय है क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर **भारत में कितना कर (Tax)** लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह भारत में **"निवासी (Resident)"** है या **"अनिवासी (Non-Resident)"**।

□ विषय का सारांश:

"निवास स्थान (Residential Status)" यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की कौन-सी आय पर भारत में कर लगेगा।
यह स्थिति हर **वित्तीय वर्ष (Financial Year)** के लिए **अलग-अलग** तय की जाती है।

□ पूरा विवरण:

□ 1. निवास स्थान (Residential Status) क्या होता है?

निवास स्थान का अर्थ है – व्यक्ति ने उस वर्ष भारत में कितना समय बिताया।
यह इस बात को निर्धारित करता है कि उस व्यक्ति की **पूरी आय**, या केवल **भारत से जुड़ी आय**, भारत में टैक्सेबल होगी या नहीं।

➤यह दो चरणों में निर्धारित किया जाता है:

चरण	उद्देश्य
चरण 1	व्यक्ति "**निवासी**" है या "**अनिवासी**"? (Resident or Non-Resident)
चरण 2	यदि "निवासी" है, तो वह "**सामान्य निवासी**" है या "**विशिष्ट निवासी नहीं**"? (Resident and Ordinarily Resident or Resident but Not Ordinarily Resident)

□ 2. निवासी की श्रेणियाँ (Types of Residential Status)

व्यक्ति (Individual) के लिए 3 प्रकार:

श्रेणी	हिंदी में अर्थ	संक्षिप्त रूप
1	निवासी और सामान्य निवासी	Resident and Ordinarily Resident	ROR
2	निवासी लेकिन विशिष्ट निवासी नहीं	Resident but Not Ordinarily Resident	RNOR
3	अनिवासी	Non-Resident	NR

□ 3. रेसिडेंशियल स्टेटस की गणना कैसे होती है?

➤Step 1: व्यक्ति "निवासी" है या नहीं?

कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए:

शर्त	विवरण
✓	शर्त 1 उस वर्ष में व्यक्ति ≥ **182 दिन** भारत में रहा हो, या
✓	शर्त 2 उस वर्ष में ≥ 60 दिन भारत में और पिछले 4 वर्षों में ≥ 365 दिन भारत में रहा हो

□ अगर दोनों शर्तें पूरी नहीं होतीं → व्यक्ति **अनिवासी (NR)** माना जाएगा।

➤Step 2: यदि "निवासी" है, तो ROR या RNOR?

दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए ROR बनने के लिए:

शर्त	विवरण
✅ शर्त 1	पिछले 10 वर्षों में ≥ 2 वर्षों में भारत में रहा हो
✅ शर्त 2	पिछले 7 वर्षों में कुल ≥ 730 दिन भारत में रहा हो

❌ अगर कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई → RNOR माना जाएगा

🔹 4. कर दायित्व (Tax Liability) क्या होता है?

कर दायित्व का अर्थ है – **व्यक्ति को भारत में कितनी आय पर टैक्स देना होगा।**

यह **पूर्णतया** इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की **रेसिडेंशियल स्टेटस** क्या है।

✅ ROR (निवासी और सामान्य निवासी)

- ☒ भारत में अर्जित आय — टैक्सेबल
- ☒ विदेश में अर्जित आय — टैक्सेबल
- ☒ विदेश में प्राप्त आय — टैक्सेबल

🔹 **दुनिया भर की आय (Global Income) टैक्सेबल है।**

✅ RNOR (निवासी लेकिन सामान्य नहीं)

- ☒ भारत में अर्जित आय — टैक्सेबल
- ❌ विदेश में अर्जित आय — टैक्सेबल नहीं (कुछ अपवादों को छोड़कर)

🔹 केवल भारत से संबंधित आय टैक्सेबल

✅ NR (अनिवासी)

- ☒ भारत में अर्जित आय — टैक्सेबल
- ❌ विदेश की आय — टैक्सेबल नहीं

🔹 **केवल भारत में अर्जित आय** पर टैक्स लगेगा।

🔹 उदाहरणों से समझें:

□ उदाहरण 1: ROR

- अमित पूरे साल भारत में रहा
- भारत से वेतन ₹8 लाख + USA से फ्रीलांसिंग ₹5 लाख
  □ टैक्स लगेगा ₹13 लाख पर

□ उदाहरण 2: NR

- संजय दुबई में 11 महीने रहता है
- भारत में फ्लैट से किराया ₹2 लाख
  □ टैक्स केवल ₹2 लाख पर लगेगा (अगर सीमा से अधिक हो)

□ 5. संक्षेप चार्ट:

रेसिडेंशियल स्टेटस	भारत की आय	विदेश की आय	टैक्स
ROR	☒	☒	पूरी टैक्सेबल
RNOR	☒	✕	केवल भारत की टैक्सेबल
NR	☒	✕	केवल भारत की टैक्सेबल

UNIT-2

Income from Salary" (वेतन से आय)

भारत के **आयकर अधिनियम, 1961** के तहत पांच प्रमुख आय स्रोतों में से एक है। इस आय स्रोत की व्याख्या और इसे समझना हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए ज़रूरी है ताकि वह अपनी टैक्स देनदारी (tax liability) को सही तरह से समझ सके।

□ "वेतन से आय" (Income from Salary) की परिभाषा:

आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी नियोक्ता (Employer) से **सेवा के बदले में** वेतन (Salary) या वेतन के रूप में कोई लाभ मिलता है, तो वह "वेतन से आय" के अंतर्गत आता है।

□ वेतन (Salary) में क्या-क्या शामिल होता है?

वेतन सिर्फ़ मूल वेतन (Basic Salary) नहीं होता। इसमें कई तरह के भत्ते और लाभ शामिल होते हैं। नीचे विस्तार से बताया गया है:

1. Basic Salary (मूल वेतन):

- यह आपकी सैलरी का मुख्य भाग होता है, जिस पर अधिकतर भत्ते और कटौतियाँ आधारित होती हैं।

2. Allowances (भत्ते):

नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त लाभ:

भत्ते का नाम	विवरण	टैक्स स्थिति
HRA (House Rent Allowance)	किराया देने वालों को मिलता है	कुछ हद तक छूट मिलती है (धारा 10(13A))
DA (Dearness Allowance)	महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए	पूरी तरह टैक्स योग्य
TA (Transport Allowance)	आने-जाने के खर्च के लिए	कुछ हद तक छूट
Medical Allowance	स्वास्थ्य खर्चों के लिए	₹15,000 तक (पुराने नियमों के तहत), अब टैक्स योग्य
Entertainment Allowance	सरकारी कर्मचारियों को	लिमिटेड छूट

3. Perquisites (उपविलास / लाभ):

नियोक्ता द्वारा दिए गए वो लाभ जो नकद में नहीं होते पर मूल्य रखते हैं:

- सरकारी आवास
- कार सुविधा
- निःशुल्क भोजन
- क्लब की सदस्यता
- शिक्षा शुल्क भुगतान

□ ये अधिकतर कर योग्य होते हैं, और इनका मूल्यांकन आयकर नियमों के तहत होता है।

4. Bonus (बोनस):

- प्रदर्शन या कंपनी नीति के आधार पर दिया जाता है।
- पूरी तरह से कर योग्य।

5. Provident Fund (भविष्य निधि) :

- कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इसका योगदान करते हैं।
- नियोक्ता का योगदान 12% तक टैक्स फ्री होता है, उससे ज़्यादा टैक्सेबल।
- ब्याज पर भी कुछ शर्तों में टैक्स लगता है।

6. Gratuity (अनुग्रह राशि) :

- सेवा समाप्ति पर मिलने वाली राशि।
- कुछ सीमा तक टैक्स मुक्त (₹20 लाख तक – यदि सेवा 5 वर्ष से अधिक हो)।

□ वेतन से आय की गणना (Computation of Income from Salary)

Step-by-step प्रक्रिया:

1. **Gross Salary (सकल वेतन) की गणना:**
   - Basic Salary + Allowances + Perquisites + Bonus + अन्य लाभ
2. **छूट की गणना (Exemptions):**
   - HRA, Leave Travel Allowance (LTA), आदि
   - धारा 10 के तहत मिलने वाली छूटें
3. **Net Salary = Gross Salary - Exemptions**
4. **Standard Deduction (मानक कटौती) :**
   - ₹50,000 प्रति वर्ष (धारा 16(ia) के तहत)
5. **Professional Tax (व्यावसायिक कर) :**
   - जहां लागू हो, वह वेतन से घटाया जाता है (धारा 16(iii))
6. **Taxable Income from Salary = Net Salary - Deductions**

□ उदाहरण (Example):

मान लीजिए आपकी वार्षिक आय इस प्रकार है:

मद	राशि (₹ में)
Basic Salary	₹6,00,000
HRA	₹2,00,000
DA	₹1,00,000

मद	राशि (₹ में)
Bonus	₹50,000
Perquisites	₹50,000

 Gross Salary = ₹10,00,000

अब मान लीजिए आप ₹15,000 किराया देते हैं और मेट्रो शहर में रहते हैं। तो HRA छूट, मान लीजिए, ₹1,20,000 मिलती है।

Net Salary = ₹10,00,000 – ₹1,20,000 = ₹8,80,000

अब स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 घटाएं:

Taxable Salary Income = ₹8,80,000 – ₹50,000 = ₹8,30,000

कौन-कौन सी कटौतियाँ मिलती हैं?

वेतन से आय पर मिलने वाली प्रमुख कटौतियाँ:

धारा	विवरण	सीमा
16(ia)	Standard Deduction	₹50,000
16(ii)	Entertainment Allowance (सरकारी कर्मचारी)	सीमित
16(iii)	Professional Tax	जितना भी कटता है

इसके अलावा, आप अन्य प्रमुख कटौतियाँ जैसे धारा **80C**, **80D**, **80E** आदि भी क्लेम कर सकते हैं, जो कुल आय पर लागू होती हैं।

नए और पुराने टैक्स सिस्टम का प्रभाव:

विशेषता	पुराना टैक्स सिस्टम	नया टैक्स सिस्टम
स्टैंडर्ड डिडक्शन	मिलता है	मिलता है (2023 से)
80C, 80D आदि कटौतियाँ	मिलती हैं	नहीं मिलती (कुछ छोड़कर)
टैक्स स्लैब	अलग	अलग, ज़्यादा सरल

"Income from House Property" (गृह संपत्ति से आय)

भारत के **आयकर अधिनियम, 1961** के अंतर्गत **पांच प्रमुख आय के स्रोतों** में से एक है।

यह वह आय होती है जो किसी **मकान, बिल्डिंग या भूमि** से होती है, जिसे आपने **किराए पर दिया हो**, या जो खुद के उपयोग में नहीं है और उसे खाली रखा गया है।

□ 1. "गृह संपत्ति से आय" की परिभाषा (Definition)

आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि आपके पास **कोई इमारत या उसका कोई भाग** है (जैसे: मकान, फ्लैट, दुकान, ऑफिस), और उससे **कोई किराया या लाभ** होता है, तो वह "गृह संपत्ति से आय" मानी जाती है।

➡ चाहे वह किराए पर दी गई हो या खाली पड़ी हो, टैक्स का नियम लागू होता है (कुछ शर्तों के साथ)।

□ 2. मुख्य शर्तें (Conditions):

"House Property" से आय तभी मानी जाएगी जब:

- संपत्ति आपके नाम पर हो (Owner होना जरूरी है)
- संपत्ति बिल्डिंग हो (खुली जमीन नहीं)
- संपत्ति व्यावसायिक उद्देश्य से स्वयं इस्तेमाल नहीं की जा रही हो

□ 3. प्रकार (Types) of House Property

प्रकार	विवरण	टैक्स में स्थिति
Self-Occupied Property (SOP)	आप खुद उसमें रहते हैं	**Net Annual Value = ₹0**
Let-Out Property	किराए पर दी गई है	टैक्सेबल इनकम होती है
Deemed to be Let-Out	एक से ज़्यादा घर है, दूसरा खाली है	उसे किराए पर माना जाता है

□ नोट: केवल **1 घर** को आप Self-Occupied दिखा सकते हैं, बाकियों को "Deemed Let-Out" माना जाएगा।

□ 4. आय की गणना (Computation of Income from House Property)

Step-by-Step Calculation:

Step 1: Gross Annual Value (GAV)

- यदि घर किराए पर है: वार्षिक किराया (12 महीनों का)
- यदि खाली है: "Deemed Rent" लागू होगा (अगर दूसरा घर है)
- Self-Occupied हो: GAV = ₹0

Step 2: Municipal Taxes (नगर पालिका कर)

- जो भी **मकान कर/नगर कर** आपने खुद भरे हों, GAV से घटाएं

Step 3: Net Annual Value (NAV)

NAV = GAV – Municipal Taxes

Step 4: कटौतियाँ (Deductions) – Section 24 के अंतर्गत:

(a) Standard Deduction – 30% of NAV

- हर Let-Out प्रॉपर्टी पर 30% छूट मिलती है
- खर्चों की रसीद या प्रमाण की ज़रूरत नहीं

(b) Interest on Home Loan (Section 24(b))

- Self-Occupied Property पर:
  → अधिकतम ₹2,00,000 तक की छूट मिलती है
- Let-Out Property पर:
  → ब्याज की **पूरी राशि** घटाई जा सकती है (कोई लिमिट नहीं)

Step 5: Taxable Income from House Property

Taxable Income = NAV – Standard Deduction – Interest on Home Loan

उदाहरण (Example)

मान लीजिए:

- वार्षिक किराया = ₹2,40,000 (₹20,000 प्रति माह)
- Municipal Tax = ₹10,000
- होम लोन का ब्याज = ₹1,20,000

Step-by-Step Calculation:

1. **GAV** = ₹2,40,000
2. **Less: Municipal Tax** = ₹10,000
3. **NAV = ₹2,30,000**
4. **Standard Deduction (30%) = ₹69,000**
5. **Interest on Home Loan = ₹1,20,000**

 Taxable Income = ₹2,30,000 – ₹69,000 – ₹1,20,000

 = ₹41,000

यह ₹41,000 आपकी "House Property" से टैक्स योग्य आय होगी।

5. कुछ महत्वपूर्ण बातें:

बिंदु	विवरण
दो Self-Occupied Properties	आप दो घरों को Self-Occupied दिखा सकते हैं (Budget 2019 से)
Pre-Construction Interest	5 वर्षों में बाँटकर कटौती मिलती है
Co-Owners	हर मालिक अपने हिस्से के अनुसार टैक्स भरेगा
Vacant Property	अगर किराए पर नहीं है, फिर भी "deemed rent" लग सकता है

UNIT -3

व्यापार एवं पेशे से आय

(व्यापार एवं पेशे से आय का अर्थ)

व्यापार (Business) और **पेशा (Profession)** दोनों के जरिए जो आय होती है, उसे ही व्यापार एवं पेशे से आय कहा जाता है। यह आय उन गतिविधियों से आती है जिनमें व्यक्ति नियमित और व्यवस्थित रूप से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन, विक्रय, या पेशेवर कार्य करके लाभ कमाता है।

1. व्यापार से आय क्या है?

व्यापार से आय उस लाभ को कहते हैं जो किसी वस्तु या सेवा की खरीद-फरोख्त या उत्पादन के व्यवसाय से प्राप्त होता है।

- **व्यापार**: ऐसी गतिविधि जिसमें कोई व्यक्ति वस्तुएँ बनाता, खरीदता, या बेचता है।
- उदाहरण: कपड़ा व्यवसाय, किराना दुकान, निर्माण व्यवसाय, आदि।

व्यापार से आय = कुल बिक्री (Revenue) - कुल खर्च (Expenses)

2. पेशा से आय क्या है?

पेशा से आय उन व्यक्तियों की आय होती है जो अपनी योग्यता, कौशल, या विशेषज्ञता के आधार पर सेवा देते हैं।

- **पेशा**: वह कार्य जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करता है।
- उदाहरण: डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि।

पेशा से आय = पेशेवर सेवा का भुगतान - पेशेवर खर्च

3. व्यापार एवं पेशे से आय के मुख्य घटक

घटक	विवरण
आय	बिक्री से प्राप्त कुल रकम या सेवा के बदले मिलने वाला भुगतान
खर्च	व्यापार/पेशा से जुड़े सभी खर्च जैसे सामग्री, मजदूरी, किराया, विज्ञापन, यात्रा आदि
लाभ	आय - खर्च = शुद्ध लाभ (Profit)

4. व्यापार एवं पेशे से आय के स्रोत

- वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से होने वाली आय
- पेशेवर सेवाओं के बदले मिलने वाला शुल्क
- किराया, रॉयल्टी, कमीशन, लाभांश आदि जो व्यापार या पेशे से संबंधित हो सकते हैं

5. व्यापार एवं पेशे से आय पर कर (Income Tax)

- भारत में व्यापार एवं पेशे से आय पर आयकर लगाया जाता है।
- इस आय में से खर्चों को घटाने के बाद बचा हुआ शुद्ध लाभ ही कर योग्य होता है।
- कर निर्धारण के लिए आय-व्यय का सही लेखा-जोखा आवश्यक होता है।

6. व्यापार एवं पेशे से आय के लिए लेखांकन

- व्यापार एवं पेशे से आय के लिए **बहीखाता (Accounting)** का उपयोग होता है।
- इस बहीखाते में सभी लेन-देन को दर्ज किया जाता है जिससे पता चलता है कि आय कितनी हुई और खर्च कितना हुआ।
- इस लेखांकन से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी मिलती है।

7. व्यापार एवं पेशे से आय का महत्त्व

- यह आय व्यक्ति की आर्थिक स्थिरता का मुख्य स्रोत होती है।
- इस आय से व्यक्ति अपने खर्च, बचत, निवेश और भविष्य की योजनाएं बनाता है।
- व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है।

8. व्यापार एवं पेशे से आय के उदाहरण

व्यवसाय/पेशा	आय का स्रोत
किराना दुकान	सामान की बिक्री से प्राप्त राशि
डॉक्टर	मरीजों से मिलने वाला फीस
वकील	केस जीतने पर मिलने वाली फीस
कलाकार	कला प्रदर्शन या फिल्म से आय
इंजीनियर	परियोजनाओं में काम करके प्राप्त भुगतान

पूँजी लाभ

पूँजी लाभ क्या है?

पूँजी लाभ का मतलब होता है किसी पूँजीगत संपत्ति (Capital Asset) को बेचने पर मिलने वाला लाभ।

सीधे शब्दों में:
जब आप कोई संपत्ति (जैसे जमीन, घर, शेयर, सोना आदि) खरीदते हैं और बाद में उसे बेचते हैं, और बेचने की कीमत खरीदने की कीमत से ज्यादा होती है, तो उस अतिरिक्त रकम को **पूँजी लाभ** कहते हैं।

पूँजीगत संपत्ति (Capital Asset) क्या होती है?

- कोई भी संपत्ति जिसे व्यक्ति लंबे समय तक अपने निवेश या उपयोग के लिए रखता है।
- जैसे: जमीन, मकान, प्लॉट, शेयर, म्यूचुअल फंड, कीमती धातुएँ (सोना, चाँदी), पेंटिंग आदि।
- रोज़मर्रा की उपयोग की वस्तुएं पूँजीगत संपत्ति नहीं मानी जातीं।

पूँजी लाभ के प्रकार

1. **लंबी अवधि पूँजी लाभ (Long-Term Capital Gain - LTCG):**
   जब संपत्ति को एक निश्चित अवधि से ज्यादा समय तक रखा जाता है, तब जो लाभ होता है उसे लंबी अवधि पूँजी लाभ कहते हैं।
   - उदाहरण: शेयर या म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज्यादा समय तक रखने पर जो लाभ होता है वह LTCG होता है।
   - जमीन, मकान आदि की स्थिति में यह अवधि आम तौर पर 2 या 3 साल होती है।
2. **संक्षिप्त अवधि पूँजी लाभ (Short-Term Capital Gain - STCG):**
   जब संपत्ति को तय अवधि से कम समय के लिए रखा जाता है, तो उससे होने वाला लाभ संक्षिप्त अवधि पूँजी लाभ कहलाता है।
   - उदाहरण: शेयर को 1 साल से कम समय में बेचने पर जो लाभ होता है वह STCG होता है।

पूँजी लाभ की गणना कैसे करते हैं?

पूँजी लाभ = बेचने की कीमत – (खरीदने की कीमत + संबंधित खर्च)

यहाँ संबंधित खर्च में खरीदने और बेचने से जुड़े खर्च जैसे स्टाम्प ड्यूटी, एजेंट की फीस, सुधार और रख-रखाव आदि शामिल हो सकते हैं।

पूँजी लाभ पर कर (Capital Gain Tax)

- पूँजी लाभ पर अलग-अलग नियमों के अनुसार कर लगता है।
- **लंबी अवधि पूँजी लाभ पर** आमतौर पर कम कर दर होती है और कुछ मामलों में छूट भी मिलती है।
- **संक्षिप्त अवधि पूँजी लाभ पर** आमदनी कर की सामान्य दर लागू होती है।

उदाहरण:

- राम ने 5 साल पहले 10 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था।
- अब उसने उस प्लॉट को 15 लाख रुपये में बेचा।

राम का पूँजी लाभ = 15 लाख – 10 लाख = 5 लाख रुपये (लंबी अवधि पूँजी लाभ)। ज़रूर! मैं "अन्य साधनों से आय" (Income from Other Sources) को हिंदी में विस्तार से समझाता हूँ।

अन्य साधनों से आय क्या होती है?

अन्य साधनों से आय वह आय होती है जो किसी व्यक्ति को व्यापार, पेशा, खेती या मकान से मिलने वाली आय के अलावा अन्य स्रोतों से मिलती है। इसे आमतौर पर "इनकम टैक्स एक्ट" के अंतर्गत एक अलग आय का स्रोत माना जाता है।

1. अन्य साधनों से आय के उदाहरण

- ब्याज आय (जैसे बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज)
- डिविडेंड (कंपनी के शेयरधारकों को मिलने वाला लाभांश)
- गिफ्ट (कुछ सीमित शर्तों में)
- पुरस्कार और इनाम (जैसे लॉटरी, रिवॉर्ड आदि)
- किराए से मिलने वाली आय (यदि मकान, जमीन आदि से व्यापार या पेशे से संबंधित न हो)
- चिट्टे, जुआ, सट्टा आदि से होने वाली आय
- बीमा पॉलिसी से मिलने वाली राशि (कभी-कभी)

2. अन्य साधनों से आय की विशेषताएँ

- यह आय नियमित नहीं होती, बल्कि एकतरफा या कभी-कभी मिलती है।
- इसमें से कोई भी आय व्यापार या पेशे से संबंधित नहीं होती।
- इस आय पर अलग नियमों के अनुसार कर लगता है।
- इस आय के लिए कोई विशेष खर्च आय से घटाया नहीं जा सकता (सिवाय कुछ विशेष मामलों के)।

3. अन्य साधनों से आय पर कर

- इस आय पर भी आयकर लगाया जाता है।
- अधिकांश मामलों में इस आय पर फिक्स्ड टैक्स रेट या स्लैब रेट के अनुसार कर लगता है।
- उदाहरण के लिए, बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह कर योग्य होता है।

4. अन्य साधनों से आय के उदाहरण और उनका विवरण

आय का स्रोत	विवरण
ब्याज आय	बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज
डिविडेंड	शेयरधारकों को कंपनी का लाभांश
इनाम और पुरस्कार	किसी प्रतियोगिता, लॉटरी या खेल से मिलने वाला पुरस्कार
चिट्टे और सट्टा से आय	अवैध या वैध खेल सट्टे से प्राप्त आय
बीमा से प्राप्त राशि	बीमा क्लेम या मुआवजा
गिफ्ट	परिवार या मित्र से प्राप्त उपहार (कर नियमों के अंतर्गत)

5. अन्य साधनों से आय का महत्त्व

- यह आय व्यक्ति की कुल आय में अतिरिक्त योगदान देती है।
- इस आय को सही तरीके से टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी होता है।
- यह आय अप्रत्याशित हो सकती है, इसलिए इसे समझदारी से मैनेज करना चाहिए।

UNIT -4

"हनीयों की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना"

□ शब्दों का अर्थ:

1. **हानि (Hani)** — किसी भी प्रकार का नुकसान, क्षति या कमी।
   यह आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक या नैतिक रूप से हो सकता है।
2. **पूर्ति (Poorti)** — किसी कमी को पूरा करना या उसकी भरपाई करना।
   अर्थात, जो घट गया है या नष्ट हुआ है, उसे फिर से स्थापित करना।
3. **एवं (Evam)** — इसका अर्थ है "और" या "तथा"। यह दो विचारों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है।
4. **आगे ले जाना (Aage le jana)** — किसी कार्य, विचार, या लक्ष्य को आगे बढ़ाना या विकसित करना।

□ वाक्य का सामान्य अर्थ:

"हानियों की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना" का तात्पर्य है —

"जो भी नुकसान या कमी हुई है, पहले उसकी भरपाई की जाए और फिर उस कार्य या उद्देश्य को और भी आगे बढ़ाया जाए।"

□ गहराई से व्याख्या:

यह वाक्य किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है —

- **व्यक्तिगत जीवन में** — अगर किसी व्यक्ति को जीवन में किसी क्षेत्र में हानि हुई है (जैसे समय की, आत्मविश्वास की, अवसर की), तो पहले उस कमी की पूर्ति करनी चाहिए (जैसे आत्मविश्वास पुनः अर्जित करना, सीखे गए पाठों से सुधार करना), और फिर जीवन को नए जोश से आगे बढ़ाना चाहिए।

- **संगठन या व्यवसाय में** — यदि किसी व्यवसाय को आर्थिक हानि हुई है, तो पहले उस हानि की पूर्ति करने के कदम (जैसे नई रणनीति, खर्चों में कटौती, उत्पादकता बढ़ाना) उठाए जाएं, और फिर व्यापार को आगे ले जाने के लिए नवाचार और विस्तार किया जाए।
- **राष्ट्रीय या सामाजिक संदर्भ में** — यदि किसी समाज या देश को किसी क्षेत्र में हानि हुई (जैसे पर्यावरणीय, सांस्कृतिक या आर्थिक), तो पहले उसकी भरपाई करनी चाहिए और फिर उस क्षेत्र में सतत विकास के लिए कदम उठाने चाहिए।

□ उदाहरण से समझें:

मान लीजिए, किसी स्कूल में कोविड काल में शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुई —

- **हानि:** छात्रों की पढ़ाई और ज्ञान में कमी।
- **पूर्ति:** विशेष कक्षाएं, अतिरिक्त अध्यापन और मानसिक सहयोग देना।
- **आगे ले जाना:** शिक्षा में तकनीकी नवाचार अपनाना ताकि भविष्य में और बेहतर सीखने का वातावरण बने।

इस प्रकार, **हानियों की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना** एक **सुधार और विकास की प्रक्रिया** को दर्शाता है —

"सकल कुल आय में से की जाने वाली कटौतियाँ"

□ 1. "सकल कुल आय" (Gross Total Income - GTI) क्या होती है?

सकल कुल आय (संपूर्ण आय) का अर्थ है —
किसी व्यक्ति या संस्था की **विभिन्न आय स्रोतों** से प्राप्त कुल आय, **किसी भी कटौती से पहले**।

भारत में, **आयकर अधिनियम, 1961** के अनुसार, किसी व्यक्ति की आय को पाँच मुख्य वर्गों में बाँटा गया है:

1. **वेतन से आय (Income from Salary)**
2. **गृह संपत्ति से आय (Income from House Property)**
3. **व्यवसाय या पेशे से आय (Income from Business or Profession)**
4. **पूँजी लाभ (Capital Gains)**
5. **अन्य स्रोतों से आय (Income from Other Sources)**

इन सभी आयों को जोड़ने के बाद जो कुल राशि बनती है, वही **सकल कुल आय (Gross Total Income)** कहलाती है।

□ 2. "कटौतियाँ" (Deductions) क्या होती हैं?

कटौतियाँ वे रकम हैं जो **सकल कुल आय** में से **घटाई जा सकती हैं** ताकि यह तय किया जा सके कि आपको **कितनी कर योग्य आय (Taxable Income)** पर कर देना है।

अर्थात:

कुल आय – कटौतियाँ = कर योग्य आय (Taxable Income)

□ 3. सकल कुल आय में से की जाने वाली प्रमुख कटौतियाँ

इन कटौतियों का उल्लेख **आयकर अधिनियम की धारा 80** की विभिन्न उपधाराओं में किया गया है। नीचे प्रमुख कटौतियाँ दी गई हैं:

धारा	विवरण	कटौती का प्रकार / सीमा
80C	जीवन बीमा प्रीमियम, पी.पी.एफ., ई.एल.एस.एस., ट्यूशन फीस, होम लोन की मूल राशि की अदायगी आदि	अधिकतम ₹1,50,000 प्रति वर्ष
80CCC	पेंशन फंड में योगदान	₹1,50,000 (80C की सीमा में सम्मिलित)
80CCD(1B)	NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) में अतिरिक्त योगदान	₹50,000 अतिरिक्त
80D	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	₹25,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000)
80DD	विकलांग आश्रित के लिए खर्च	₹75,000 से ₹1,25,000 तक
80DDB	गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च	₹40,000 से ₹1,00,000 तक
80E	शिक्षा ऋण पर ब्याज	ब्याज की पूरी राशि (कोई सीमा नहीं)
80G	दान / चैरिटी संस्थाओं को योगदान	50% या 100% तक कटौती
80TTA / 80TTB	बचत खाते के ब्याज पर कटौती	₹10,000 (TTA) / ₹50,000 (TTB – वरिष्ठ नागरिकों के लिए)
80U	विकलांग व्यक्ति के लिए कटौती	₹75,000 से ₹1,25,000 तक

□ 4. अंत में क्या बचता है?

सकल कुल आय – सभी अनुमन्य कटौतियाँ = कर योग्य आय (Taxable Income)

और **इसी कर योग्य आय पर कर की गणना** की जाती है।

□ सरल उदाहरण:

विवरण	राशि (₹)
वेतन से आय	6,00,000
ब्याज आय	20,000
सकल कुल आय	**6,20,000**
80C (LIC + PPF)	(1,20,000)
80D (मेडिकल इंश्योरेंस)	(20,000)
कर योग्य आय	**4,80,000**

अब कर की गणना ₹4,80,000 पर की जाएगी।

: "आय का मिलान"

□ आय का मिलान (Matching of Income) का अर्थ

"आय का मिलान" का अर्थ है —

किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन की **घोषित आय (Declared Income)** की तुलना **वास्तविक प्राप्त आय (Actual Income)** से करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **दोनों में कोई अंतर (Discrepancy)** न हो।

सीधे शब्दों में —
आय का मिलान = घोषित आय का सत्यापन।

□ आय के मिलान का उद्देश्य

आय का मिलान मुख्यतः **सटीकता (Accuracy)** और **पारदर्शिता (Transparency)** के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि:

1. वास्तविक आय और दाखिल की गई आय में कोई अंतर न हो।
2. यदि कोई अंतर है, तो उसका कारण पता चल सके।
3. कर चोरी (Tax Evasion) या गलत लेखांकन को रोका जा सके।
4. आय, खर्च और निवेश के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

□ कहाँ-कहाँ आय का मिलान किया जाता है

1. **आयकर विभाग द्वारा:**
   - जब आप **Income Tax Return (ITR)** दाखिल करते हैं, तो विभाग आपकी आय का **Form 26AS**, **AIS (Annual Information Statement)**, और **TDS प्रमाणपत्रों** से मिलान करता है।
   - उद्देश्य: यह देखना कि आपने जो आय दिखाई है, वह वास्तव में आपके बैंक खातों, निवेशों और TDS रिकॉर्ड्स से मेल खाती है या नहीं।
2. **लेखांकन (Accounting) में:**
   - कंपनी या संस्था अपनी **आय विवरणी (Income Statement)** को **बैंक स्टेटमेंट**, **सेल्स रिकॉर्ड**, और **रसीदों** से मिलाती है।
   - ताकि वित्तीय विवरण सही और विश्वसनीय हों।
3. **ऑडिट (Audit) के समय:**
   - ऑडिटर आय का मिलान करते हैं ताकि वित्तीय रिपोर्ट में कोई गलत सूचना या गड़बड़ी न हो।

□ आय के मिलान के प्रमुख स्रोत

स्रोत	विवरण
Form 16 / 16A	वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए TDS विवरण
Form 26AS	आयकर विभाग द्वारा दर्ज आपकी कुल आय और TDS
AIS / TIS	Annual Information Statement – आपके सभी वित्तीय लेनदेन की जानकारी
बैंक खाते / पासबुक	प्राप्त वास्तविक रकम
बहीखाते / लेखा पुस्तिकाएँ	आपके द्वारा दर्ज की गई आय का रिकॉर्ड

□ आय के मिलान की प्रक्रिया (संक्षेप में)

1. **सभी स्रोतों से आय का डेटा एकत्र करें**
   जैसे – वेतन, किराया, ब्याज, लाभांश, व्यापारिक आय आदि।

2. **Form 26AS / AIS से तुलना करें**
   देखें कि आपने जितनी आय दिखाई है, क्या वही सरकार के रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
3. **TDS और टैक्स क्रेडिट का मिलान करें**
   देखें कि जितना TDS काटा गया है, वह Form 26AS में सही से दिख रहा है या नहीं।
4. **अंतर पाए जाने पर सुधार करें**
   अगर कोई राशि कम या ज्यादा है, तो ITR में सही जानकारी भरें या आवश्यक सुधार (Rectification) कराएँ।

□ उदाहरण से समझें:

स्रोत	घोषित आय (₹)	Form 26AS में आय (₹)	स्थिति
वेतन	5,00,000	5,00,000	✓ मेल खाया
बैंक ब्याज	10,000	12,000	✗ अंतर 2,000
किराया	1,20,000	1,20,000	✓ मेल खाया

➡ यहाँ ₹2,000 का अंतर है —
इसका मतलब है कि बैंक से प्राप्त ब्याज में आपने ₹2,000 कम दिखाया है, जिसे सुधारना आवश्यक है।

□ "व्यक्ति की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना"

□ 1. व्यक्ति की कुल आय (Total Income) क्या है?

किसी व्यक्ति की **कुल आय (Total Income)** वह राशि होती है जो उसे पूरे वर्ष में **विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है**, और जिसमें से **कानून के अनुसार अनुमन्य कटौतियाँ (Deductions)** घटाई जा चुकी होती हैं।

□ **सूत्र:**

कुल आय = सकल कुल आय – कटौतियाँ (Deductions u/s 80)

□ 2. आय के पाँच प्रमुख स्रोत (Heads of Income)

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, व्यक्ति की आय पाँच भागों में बाँटी जाती है:

क्र.	आय का प्रकार	उदाहरण

क्र.	आय का प्रकार	उदाहरण
1	**वेतन से आय (Income from Salary)**	वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन
2	**गृह संपत्ति से आय (Income from House Property)**	मकान का किराया
3	**व्यवसाय या पेशे से आय (Income from Business/Profession)**	व्यापारिक लाभ, प्रोफेशनल फीस
4	**पूँजी लाभ (Capital Gains)**	संपत्ति बेचने से लाभ (जमीन, शेयर आदि)
5	**अन्य स्रोतों से आय (Income from Other Sources)**	ब्याज, लाभांश, लॉटरी, उपहार आदि

3. सकल कुल आय (Gross Total Income - GTI)

GTI = सभी 5 स्रोतों से प्राप्त आय का योग

उदाहरण के लिए:

स्रोत	राशि (₹)
वेतन से आय	6,00,000
गृह संपत्ति से आय	1,20,000
ब्याज आय	30,000
सकल कुल आय (GTI)	**7,50,000**

4. कटौतियाँ (Deductions under Chapter VI-A)

सकल कुल आय में से कुछ **निर्धारित निवेश या खर्च** घटाए जा सकते हैं, जिन्हें **कटौतियाँ** कहा जाता है।
मुख्य कटौतियाँ:

धारा	विवरण	सीमा
80C	PPF, LIC, ट्यूशन फीस, ELSS आदि	₹1,50,000
80CCD(1B)	NPS में अतिरिक्त निवेश	₹50,000
80D	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	₹25,000 (वरिष्ठ नागरिकों हेतु ₹50,000)
80TTA/TTB	बचत खाते का ब्याज	₹10,000 / ₹50,000
80G	दान (Donation)	50% या 100% तक अनुमन्य

उदाहरण:

विवरण	राशि (₹)
सकल कुल आय	7,50,000
घटाएँ 80C	1,50,000
घटाएँ 80D	25,000
कुल कटौतियाँ	**1,75,000**
कुल आय (Total Income)	**5,75,000**

□ 5. कर दायित्व (Tax Liability) की गणना

(A) पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) – AY 2025-26 के लिए:

आय सीमा	कर दर
₹0 – ₹2,50,000	कोई कर नहीं
₹2,50,001 – ₹5,00,000	5%
₹5,00,001 – ₹10,00,000	20%
₹10,00,000 से अधिक	30%

(साथ में 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर)

(B) नई कर व्यवस्था (New Tax Regime - वैकल्पिक)

(बिना अधिकांश कटौतियों के)

आय सीमा	कर दर
₹0 – ₹3,00,000	0%
₹3,00,001 – ₹6,00,000	5%
₹6,00,001 – ₹9,00,000	10%
₹9,00,001 – ₹12,00,000	15%
₹12,00,001 – ₹15,00,000	20%
₹15,00,000 से ऊपर	30%

□ 6. उदाहरण: कर गणना (Old Regime)

कुल आय = ₹5,75,000

आय खंड	कर दर	कर
₹0 – ₹2,50,000	0%	0
₹2,50,001 – ₹5,00,000	5%	12,500
शेष ₹75,000	20%	15,000
कुल कर		**27,500**
घटाएँ: धारा 87A (यदि आय ≤ ₹5 लाख, तो राहत) **	लागू नहीं	
कुल देय कर	+ 4% उपकर	₹28,600 (लगभग)

□ 7. महत्वपूर्ण बातें:

1. अगर **कुल आय ₹5 लाख या कम** है (पुरानी व्यवस्था में), तो **87A राहत** के कारण कर *शून्य* हो जाता है।
2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए **मूल छूट सीमा** ₹3 लाख है।
3. कर दायित्व में 4% **स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर** जोड़ा जाता है।

✓संक्षेप में सूत्र:

कुल आय = (वेतन + गृह संपत्ति + व्यवसाय + पूँजी लाभ + अन्य आय) – कटौतियाँ (u/s 80)
कर दायित्व = लागू स्लैब दरों के अनुसार गणना की गई राशि + 4% उपकर

UNIT –5

"कार निर्धारण की कार्यविधि"

यह शब्द अलग-अलग सन्दर्भों में अलग अर्थ दे सकता है। इसलिए पहले यह स्पष्ट कर लें कि आप "**कार निर्धारण**" से क्या मतलब ले रहे हैं:

1. **कर निर्धारण (Tax Assessment)** — यानी टैक्स या आयकर निर्धारण की प्रक्रिया।
2. **कार निर्धारण (Vehicle Determination)** — यानी वाहन से जुड़ी कोई प्रक्रिया (जैसे वाहन की पहचान या मूल्य निर्धारण)।

आपके प्रश्न से लगता है कि आप **"कर निर्धारण की कार्यविधि" (Tax Assessment Procedure)** के बारे में पूछ रहे हैं।
अगर यही आपका आशय है, तो नीचे इसका **विस्तृत (deep) विवरण हिंदी में** दिया गया है □

□ कर निर्धारण की कार्यविधि (Procedure of Tax Assessment)

अर्थ:
"कर निर्धारण" से तात्पर्य है — किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी द्वारा अर्जित आय के आधार पर यह तय करना कि उसे सरकार को कितना कर (tax) देना होगा।
यह पूरी प्रक्रिया **आयकर विभाग (Income Tax Department)** द्वारा की जाती है।

□ 1. आय का विवरण प्रस्तुत करना (Filing of Return of Income)

सबसे पहले, प्रत्येक करदाता (Taxpayer) को अपनी **आय और व्यय का विवरण** एक निश्चित प्रारूप में सरकार को देना होता है, जिसे **आयकर रिटर्न (Income Tax Return - ITR)** कहते हैं।

मुख्य बिंदु:

- व्यक्ति अपनी वार्षिक आय, कटौतियों और कर भुगतान का विवरण ITR में भरता है।
- रिटर्न निर्धारित तारीख (जैसे 31 जुलाई) तक दाखिल करनी होती है।
- यह प्रक्रिया अब पूरी तरह **ऑनलाइन** होती है (https://www.incometax.gov.in पर)।

□ 2. रिटर्न की जांच (Scrutiny or Assessment by the Income Tax Department)

रिटर्न दाखिल करने के बाद विभाग उसकी जाँच करता है कि करदाता ने सही जानकारी दी है या नहीं।
यह **"कर निर्धारण"** की असली प्रक्रिया है।

इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के निर्धारण होते हैं □

(क) स्वयं निर्धारण (Self-Assessment - धारा 140A)

- करदाता खुद अपनी आय के आधार पर कर की गणना करता है और जमा करता है।
- विभाग केवल पुष्टि करता है कि सब कुछ सही है।
- यदि त्रुटि पाई जाए, तो विभाग आगे की कार्रवाई कर सकता है।

(ख) सारांश निर्धारण (Summary Assessment - धारा 143(1))

- यह पूरी तरह **कंप्यूटर आधारित स्वचालित जांच (Automated Processing)** होती है।
- विभाग यह देखता है कि —
  - रिटर्न में अंकगणितीय गलती तो नहीं है?
  - किसी कर छूट का गलत दावा तो नहीं है?
- अगर कुछ गलतियाँ मिलें, तो विभाग संशोधन सूचना (intimation) भेजता है।

(ग) विस्तृत जांच निर्धारण (Scrutiny Assessment - धारा 143(3))

- यदि विभाग को संदेह हो कि आय या खर्च का विवरण सही नहीं है, तो वह **नोटिस** जारी करता है।
- करदाता से दस्तावेज, प्रमाण और स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं।
- अधिकारी सभी साक्ष्यों की जांच के बाद अंतिम **कर देयता (Tax Liability)** तय करता है।

□ 3. पुनः निर्धारण (Reassessment - धारा 147)

अगर बाद में यह पता चले कि करदाता ने अपनी कुछ आय छिपाई थी या गलत जानकारी दी थी, तो विभाग **रिटर्न को फिर से खोल सकता है** और पुनः निर्धारण कर सकता है।

□ 4. अपील और पुनरीक्षण (Appeal and Revision)

यदि करदाता को निर्धारण से असहमति हो, तो वह:

- **आयकर अपीलीय अधिकारी (Commissioner of Appeals)** के पास अपील कर सकता है,
- या आगे **आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT)**,
- फिर **उच्च न्यायालय** और अंततः **सुप्रीम कोर्ट** तक जा सकता है।

□ 5. कर की वसूली (Recovery of Tax)

अंत में, निर्धारण के अनुसार जो कर बकाया होता है, उसे सरकार वसूल करती है।
यदि करदाता भुगतान नहीं करता, तो उसकी संपत्ति या बैंक खाते से वसूली की जा सकती है।

□ 6. दंड और ब्याज (Penalty and Interest)

अगर करदाता ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या आय छिपाई, तो विभाग दंड (Penalty) और ब्याज (Interest) लगा सकता है —
जैसे धारा 234A, 234B, 234C के अंतर्गत।

"कर कटौती एवं संग्रहण संख्या"

□ कर कटौती एवं संग्रहण संख्या (TAN) क्या है?

TAN (Tax Deduction and Collection Account Number)
एक **10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक (अक्षर + अंक)** कोड होता है,
जो **आयकर विभाग (Income Tax Department)** द्वारा जारी किया जाता है।

यह संख्या उन सभी व्यक्तियों, कंपनियों, या संस्थाओं के लिए आवश्यक होती है जो किसी भुगतान से **कर की कटौती (TDS - Tax Deducted at Source)** या **कर का संग्रहण (TCS - Tax Collected at Source)** करते हैं।

□ TAN नंबर का प्रारूप (Format of TAN)

उदाहरण:

DELM12345B

इसमें:

- पहले 4 अक्षर (DELM) — राज्य और कार्यालय कोड दर्शाते हैं।
- अगले 5 अंक (12345) — विशिष्ट क्रमांक होते हैं।
- अंतिम अक्षर (B) — जाँच हेतु वर्ण (Check Character) होता है।

□ TAN की आवश्यकता क्यों होती है?

अगर कोई संस्था या व्यक्ति किसी भुगतान से **TDS काटता है** या **TCS वसूलता है**, तो उसे उस कर राशि को **सरकार के खाते में जमा** कराना होता है।

ऐसे में सरकार यह पहचानने के लिए कि कौन-सा कर किसने जमा किया है, **TAN नंबर** का उपयोग करती है।

उदाहरण के लिए □

- एक कंपनी अपने कर्मचारियों का वेतन दे रही है → उसे TDS काटना होगा।
- एक ठेकेदार को भुगतान कर रही है → TDS लागू होगा।
- कोई व्यापारी किसी वस्तु की बिक्री पर TCS वसूल रहा है → उसे TAN चाहिए।

□ किसे TAN लेना आवश्यक है?

TAN निम्नलिखित को लेना अनिवार्य है:

1. सभी **कंपनियाँ, फर्म, ट्रस्ट, एनजीओ**, आदि
2. सभी **सरकारी विभाग** जो वेतन या ठेके पर भुगतान करते हैं
3. कोई भी व्यक्ति जो **TDS** या **TCS** के तहत कर वसूलता है

□ TAN नंबर का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है?

- **TDS या TCS रिटर्न भरने** में
- **कर जमा करने वाले चालान (Challan 281)** में
- **TDS प्रमाण पत्र (Form 16 / 16A)** जारी करते समय
- **आयकर विभाग के साथ किसी भी पत्राचार** में

□ TAN कैसे प्राप्त करें?

□ ऑनलाइन प्रक्रिया (सबसे आसान तरीका)

1. वेबसाइट पर जाएँ:
   □ https://www.incometax.gov.in
   या
   □ https://www.tin-nsdl.com
2. **Form 49B** भरें (यह TAN आवेदन फॉर्म है)।
3. फॉर्म भरने के बाद उसे ऑनलाइन सबमिट करें।
4. आपको एक **Acknowledgement Number** मिलेगा।
5. सत्यापन के बाद **TAN नंबर** जारी कर दिया जाता है।
6. TAN की हार्ड कॉपी डाक द्वारा भेजी जाती है।

□ TAN और PAN में अंतर

बिंदु	TAN	PAN
पूरा नाम	Tax Deduction & Collection Account Number	Permanent Account Number
उद्देश्य	TDS/TCS की पहचान के लिए	व्यक्तिगत या व्यावसायिक कर पहचान के लिए
अनिवार्यता	केवल TDS/TCS करने वालों के लिए	हर करदाता के लिए
जारी करने वाला विभाग	आयकर विभाग	आयकर विभाग

बिंदु	TAN	PAN
प्रारूप	10 अक्षर-अंक (जैसे DELM12345B)	10 अक्षर-अंक (जैसे ABCDE1234F)

□ TAN न होने पर दंड

यदि कोई व्यक्ति या संस्था TDS/TCS करती है लेकिन TAN नहीं लेती या गलत TAN का उपयोग करती है,
तो **₹10,000 तक का जुर्माना (धारा 272BB के अंतर्गत)** लगाया जा सकता है।

□ संक्षेप में

बिंदु	विवरण
पूरा नाम	कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या
अंग्रेज़ी नाम	Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)
जारी करने वाला विभाग	आयकर विभाग, भारत सरकार
रूप	10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड
उपयोग	TDS/TCS से संबंधित सभी कार्यों में
आवेदन फॉर्म	Form 49B
वेबसाइट	https://www.incometax.gov.in

"स्थायी लेखा संख्या",

□ स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number – PAN)

परिभाषा:
स्थायी लेखा संख्या (PAN) एक **10 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक (अक्षर + अंक)** पहचान संख्या होती है,
जो **आयकर विभाग (Income Tax Department)** द्वारा प्रत्येक **करदाता (Taxpayer)** को दी जाती है।

यह संख्या व्यक्ति या संस्था की **स्थायी कर पहचान (Permanent Tax Identity)** के रूप में काम करती है।

□ PAN का उद्देश्य

PAN का मुख्य उद्देश्य है:
सरकार के पास हर व्यक्ति या संस्था की **वित्तीय गतिविधियों (Financial Transactions)** को एक पहचान से जोड़ना ताकि —

- कर चोरी (Tax Evasion) रोकी जा सके,
- और हर करदाता की आय, निवेश व कर भुगतान का रिकॉर्ड रखा जा सके।

□ PAN का प्रारूप (Format of PAN)

PAN हमेशा इस रूप में होता है:

ABCDE1234F

इसमें:

1. पहले **5 अक्षर (A–Z)** → करदाता की श्रेणी और नाम दर्शाते हैं
2. अगले **4 अंक (0–9)** → क्रमांक होते हैं
3. अंतिम **1 अक्षर (A–Z)** → जाँच हेतु वर्ण (Check Code) होता है

□ PAN किसे आवश्यक है?

निम्नलिखित को **PAN लेना अनिवार्य** है □

क्रम	व्यक्ति / संस्था	कारण
1	वे व्यक्ति जिनकी आय **कर योग्य** है	आयकर रिटर्न भरने के लिए
2	सभी कंपनियाँ, फर्म, ट्रस्ट, एनजीओ आदि	व्यापारिक पहचान हेतु
3	बैंक खाता खोलने वाले व्यक्ति	वित्तीय सत्यापन हेतु
4	₹2,00,000 से अधिक का नकद लेनदेन करने वाले	कर निगरानी हेतु
5	शेयर, म्यूचुअल फंड, संपत्ति आदि में निवेश करने वाले	वित्तीय पहचान हेतु

□ PAN का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है?

कार्य	PAN की आवश्यकता
आयकर रिटर्न दाखिल करना	अनिवार्य
बैंक खाता खोलना	अनिवार्य

कार्य	PAN की आवश्यकता
₹50,000 से अधिक नकद जमा या निकासी	अनिवार्य
वाहन या संपत्ति खरीदना	अनिवार्य
शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड निवेश	अनिवार्य
पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड आवेदन	आवश्यक
TDS/TCS से संबंधित कार्य	आवश्यक

□ PAN कैसे प्राप्त करें?

□ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. वेबसाइट पर जाएँ:
   □ https://www.incometax.gov.in
   या
   □ https://www.onlineservices.nsdl.com
2. **Form 49A** (भारतीय नागरिकों के लिए) या **Form 49AA** (विदेशियों के लिए) भरें।
3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
   - पहचान प्रमाण (Identity Proof)
   - पते का प्रमाण (Address Proof)
   - जन्म तिथि का प्रमाण (Date of Birth Proof)
4. शुल्क का भुगतान करें।
5. सत्यापन के बाद आपको **PAN नंबर** जारी किया जाता है।
6. **e-PAN कार्ड** ईमेल पर प्राप्त होता है, और हार्ड कॉपी डाक से आती है।

□ PAN और TAN में अंतर

बिंदु	PAN	TAN
पूरा नाम	Permanent Account Number	Tax Deduction and Collection Account Number
उद्देश्य	करदाता की पहचान	TDS/TCS करने वाले की पहचान
जारी करने वाला विभाग	आयकर विभाग	आयकर विभाग
किसे आवश्यक	हर करदाता को	केवल TDS/TCS काटने वालों को
प्रारूप	ABCDE1234F	DELM12345B

□ PAN न होने पर असुविधाएँ

- बैंक में उच्च राशि का लेनदेन नहीं कर सकते
- आयकर रिटर्न नहीं भर सकते
- संपत्ति या वाहन खरीद-बिक्री में रुकावट
- कई वित्तीय लेनदेन अस्वीकृत हो जाते हैं

□ सारांश

बिंदु	विवरण
हिंदी नाम	स्थायी लेखा संख्या
अंग्रेज़ी नाम	Permanent Account Number (PAN)
जारी करने वाला विभाग	आयकर विभाग, भारत सरकार
रूप	10 अक्षर-अंक वाला कोड
उपयोग	कर पहचान और वित्तीय लेनदेन
आवेदन फॉर्म	Form 49A
वेबसाइट	https://www.incometax.gov.in

info. See Cookie Preferences.

"उद्गम स्थान पर कर कटौती"

□ उद्गम स्थान पर कर कटौती (TDS – Tax Deducted at Source)

अर्थ:
"उद्गम स्थान पर कर कटौती" का मतलब है —
जब किसी व्यक्ति या संस्था को कोई **भुगतान (Payment)** किया जाता है,
तो उस भुगतान की **राशि से पहले ही** एक निश्चित प्रतिशत **कर (Tax)** काट लिया जाता है और यह कर सीधे **सरकार को जमा** कर दिया जाता है।

इसे ही कहा जाता है □ **TDS (Tax Deducted at Source)**
अर्थात् "जहाँ आय उत्पन्न होती है, वहीं कर की कटौती"।

□ TDS का उद्देश्य

TDS का मुख्य उद्देश्य है —

1. सरकार को **नियमित कर प्राप्ति (Regular Revenue)** मिलती रहे।
2. **कर चोरी (Tax Evasion)** को रोका जा सके।
3. हर व्यक्ति की **आय का रिकॉर्ड (Track of Income)** सरकार के पास रहे।

□ TDS कौन काटता है? (Deductor)

वह व्यक्ति या संस्था जो भुगतान करती है और कर काटती है,
उसे **"कटौतीकर्ता (Deductor)"** कहा जाता है।

उदाहरण:

- कोई कंपनी अपने कर्मचारी को वेतन देती है → कंपनी Deductor है।
- बैंक ब्याज का भुगतान करता है → बैंक Deductor है।

□ TDS किससे काटा जाता है? (Deductee)

जिस व्यक्ति को भुगतान किया जा रहा है और जिसकी आय से कर काटा जाता है,
उसे **"कटौती-ग्राही (Deductee)"** कहा जाता है।

उदाहरण:

- कर्मचारी को वेतन मिलता है → कर्मचारी Deductee है।
- ठेकेदार को भुगतान मिलता है → ठेकेदार Deductee है।

□ TDS किन-किन भुगतानों पर काटा जाता है?

TDS कई प्रकार के भुगतानों पर लागू होता है, जैसे □

क्रम	भुगतान का प्रकार	संबंधित धारा	TDS दर
1	वेतन (Salary)	धारा 192	आय के अनुसार (स्लैब रेट)
2	ब्याज (Interest)	धारा 194A	10%
3	ठेकेदारी / पेशेवर भुगतान	धारा 194C / 194J	1% या 10%
4	किराया (Rent)	धारा 194I	10%
5	संपत्ति बिक्री पर भुगतान	धारा 194IA	1%
6	कमीशन / ब्रोकर	धारा 194H	5%
7	बीमा कमीशन	धारा 194D	5%
8	बैंक FD ब्याज	धारा 194A	10%

□ TDS की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step)

1 भुगतान से पहले कटौती:

भुगतान करने वाला व्यक्ति तय दर से कर काटता है।

उदाहरण:
अगर किसी ठेकेदार को ₹1,00,000 का भुगतान करना है और TDS दर 1% है,
तो कंपनी ₹1,000 TDS के रूप में काटेगी और ₹99,000 ठेकेदार को देगी।

2 सरकार के खाते में जमा:

कटौती की गई राशि निर्धारित समय के भीतर **सरकार के खाते में जमा** की जाती है (आमतौर पर अगले महीने की 7 तारीख तक)।

3 TDS रिटर्न भरना:

कटौती करने वाला व्यक्ति **TDS रिटर्न (Form 24Q, 26Q आदि)** दाखिल करता है,
जिसमें बताता है कि किससे कितना TDS काटा गया।

4 TDS प्रमाण पत्र (Form 16 / 16A):

TDS काटने वाला व्यक्ति करदाता को एक प्रमाण पत्र देता है,
जिसमें यह उल्लेख होता है कि कितना कर काटा गया और जमा किया गया।

5 Form 26AS या AIS में जाँच:

कटौती की गई राशि **आयकर पोर्टल पर Form 26AS या AIS** में दिखाई देती है।
इससे करदाता सुनिश्चित कर सकता है कि उसका TDS सही जमा हुआ है।

□ TDS जमा करने के लिए आवश्यक संख्या:

1. **PAN (Permanent Account Number)** — करदाता की पहचान हेतु
2. **TAN (Tax Deduction and Collection Account Number)** — कर काटने वाले की पहचान हेतु

□ यदि TDS न काटा जाए या देर से जमा किया जाए

तो आयकर अधिनियम के अनुसार:

- ब्याज (Interest) देना पड़ता है — धारा 201(1A)
- दंड (Penalty) भी लगाया जा सकता है — धारा 271C

□ उदाहरण से समझें

एक कंपनी अपने कर्मचारी **रवि** को ₹50,000 प्रतिमाह वेतन देती है।
रवि की वार्षिक आय ₹6,00,000 है, जिस पर कर लागू होता है।

तो कंपनी रवि को वेतन देने से पहले उसकी आय के अनुसार **TDS काटेगी**
और वह राशि सरकार को जमा करेगी।

रवि को हर साल **Form 16** में यह विवरण मिलेगा कि कितना TDS उसकी ओर से जमा किया गया।

□ संक्षेप में

बिंदु	विवरण
पूरा नाम	उद्गम स्थान पर कर कटौती
अंग्रेज़ी नाम	Tax Deducted at Source (TDS)
उद्देश्य	कर वसूली को आसान और पारदर्शी बनाना
कानून के तहत धारा	192 से 196 तक
लागू किस पर	वेतन, ब्याज, किराया, ठेका, कमीशन आदि
आवश्यक पहचान	TAN (कटौतीकर्ता), PAN (कटौती-ग्राही)

"कर का अग्रिम भुगतान"

□ कर का अग्रिम भुगतान (Advance Tax) क्या है?

अर्थ:
जब कोई व्यक्ति या संस्था पूरे वर्ष में जो आय अर्जित करती है,
उस पर देय कर (Tax Liability) को **वर्ष समाप्त होने से पहले किस्तों में पहले ही सरकार को जमा** कर देती है,
तो इसे कहा जाता है □ **कर का अग्रिम भुगतान (Advance Tax)**।

इसका सीधा अर्थ है —

"**Tax Pay As You Earn**" यानी **जैसे-जैसे आय हो, वैसे-वैसे कर चुकाएँ।**

□ कानूनी आधार

कर का अग्रिम भुगतान **आयकर अधिनियम, 1961** की **धारा 207 से 211 (Sections 207 to 211)** तक में वर्णित है।

□ अग्रिम कर कौन देता है?

प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी या संस्था जिसे यह अनुमान है कि वित्तीय वर्ष में उसकी **कुल कर देयता ₹10,000 या उससे अधिक** होगी, उसे **अग्रिम कर** देना **अनिवार्य (Mandatory)** है।

अपवाद (Exception):
वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) जिनकी आय **व्यवसाय या पेशे से नहीं** है, उन्हें अग्रिम कर देने की आवश्यकता नहीं होती।

□ अग्रिम कर किस पर लागू होता है?

- वेतन आय (Salary Income)
- व्यवसाय या पेशे की आय
- किराया, ब्याज, कमीशन, पूंजीगत लाभ आदि
- शेयर/म्यूचुअल फंड से आय
- अन्य स्रोतों की आय

□ अग्रिम कर की गणना (Calculation of Advance Tax)

Step 1: पूरे वर्ष की अनुमानित आय का आकलन करें।
Step 2: कुल आय पर लागू आयकर दरों के अनुसार कर निकालें।
Step 3: पहले से काटे गए TDS या TCS को घटाएँ।
Step 4: शेष कर राशि ही **अग्रिम कर** होगी।

□ **सूत्र**:

अग्रिम कर = कुल देय कर – TDS/TCS – छूट/रिबेट (यदि कोई हो)

□ अग्रिम कर भुगतान की तिथियाँ (Advance Tax Due Dates)

किस्त	देय तिथि	देय प्रतिशत (Individuals/Non-Corporates)
1st किस्त	15 जून	कुल कर का **15%**
2nd किस्त	15 सितम्बर	कुल कर का **45%** (पहली सहित)
3rd किस्त	15 दिसम्बर	कुल कर का **75%** (पहली-दूसरी सहित)
4th किस्त	15 मार्च	कुल कर का **100%** (अंतिम भुगतान)

 नोट:
कंपनियों (Corporate Assessees) के लिए भी यही समय-सारणी लागू होती है।

□ अग्रिम कर कैसे जमा किया जाता है?

1. ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएँ □ https://www.incometax.gov.in
2. **'e-Pay Tax'** विकल्प चुनें।
3. भुगतान प्रकार में **'Advance Tax (Code 100)'** चुनें।
4. राशि दर्ज करें और नेट बैंकिंग/UPI से भुगतान करें।
5. भुगतान के बाद **Challan 280** (अब ITNS 280) का रसीद प्राप्त करें।

□ यदि अग्रिम कर समय पर न दिया जाए तो क्या होता है?

अगर कोई करदाता अग्रिम कर नहीं चुकाता या देरी करता है,
तो उस पर **ब्याज (Interest)** लगाया जाता है:

धारा	ब्याज का कारण	दर
234B	अग्रिम कर न चुकाने पर	1% प्रतिमाह
234C	समय पर किस्त न चुकाने पर	1% प्रतिमाह

□ अग्रिम कर भुगतान का लाभ

✓वर्ष के अंत में बड़ी कर राशि एक साथ नहीं देनी पड़ती।
✓ब्याज और दंड से बचाव होता है।
✓सरकार को नियमित राजस्व मिलता है।
✓टैक्स की योजना (Tax Planning) आसान होती है।

□ उदाहरण

उदाहरण:
रवि की 2024–25 में अनुमानित कुल आय ₹8,00,000 है।
उस पर कुल कर देयता ₹52,000 बनती है।
उसके वेतन से ₹12,000 TDS पहले ही कट चुका है।

तो अग्रिम कर = ₹52,000 – ₹12,000 = ₹40,000

अब यह ₹40,000 रवि को इस प्रकार चुकाना है □

तारीख	प्रतिशत	राशि
15 जून	15%	₹6,000
15 सितम्बर	45% (कुल)	₹18,000
15 दिसम्बर	75% (कुल)	₹30,000
15 मार्च	100% (कुल)	₹40,000

□ संक्षेप में

बिंदु	विवरण
नाम	कर का अग्रिम भुगतान
अंग्रेज़ी नाम	Advance Tax
अधिनियम की धारा	207 से 211
लागू किस पर	जिनकी वार्षिक कर देयता ₹10,000 से अधिक हो
भुगतान कोड	Challan ITNS 280 (Code 100)
भुगतान की तिथियाँ	15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर, 15 मार्च
ब्याज की धारा	234B, 234C

“आयकर पदाधिकारी

□ आयकर पदाधिकारी (Income Tax Officer – ITO)

परिभाषा:
आयकर पदाधिकारी वह सरकारी अधिकारी होता है
जो **भारत सरकार के आयकर विभाग (Income Tax Department)** में कार्यरत होता है
और जिसका मुख्य कार्य है —

कर (Tax) से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना, कर की वसूली करना, और करदाताओं की आय की जांच (Assessment) करना।

□ आयकर पदाधिकारी की नियुक्ति

- आयकर पदाधिकारी (Income Tax Officer) की नियुक्ति **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** के अंतर्गत होती है।
- यह पद **राजपत्रित समूह "B" (Gazetted Group B)** के अधिकारी का होता है।
- नियुक्ति दो प्रमुख माध्यमों से होती है:
  1. **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** द्वारा आयोजित **संयुक्त स्नातक परीक्षा (SSC CGL)** के माध्यम से।
  2. या फिर **संवर्गीय पदोन्नति (Departmental Promotion)** से।

□ आयकर विभाग की संरचना (Hierarchy of Officers)

आयकर विभाग में पदों का क्रम (ऊपर से नीचे) सामान्यतः इस प्रकार होता है □

क्रमांक	पदनाम (हिंदी)	अंग्रेज़ी नाम
1	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त	Principal Chief Commissioner of Income Tax
2	मुख्य आयकर आयुक्त	Chief Commissioner of Income Tax
3	प्रधान आयकर आयुक्त	Principal Commissioner of Income Tax
4	आयकर आयुक्त	Commissioner of Income Tax
5	उप आयुक्त / सहायक आयुक्त	Deputy / Assistant Commissioner of Income Tax
6	**आयकर पदाधिकारी (Income Tax Officer)**	Income Tax Officer (ITO)
7	निरीक्षक (Inspector of Income Tax)	Inspector
8	कर सहायक	Tax Assistant
9	लिपिक / अन्य कर्मचारी	Clerical Staff

□ **Income Tax Officer (ITO)** का स्थान मध्य स्तर (Middle Level) का होता है।

□ आयकर पदाधिकारी के मुख्य कार्य (Duties and Functions)

क्रम	कार्य का विवरण
1	**आयकर रिटर्न की जांच (Assessment):** यह देखना कि करदाता ने सही आय बताई है

क्रम	कार्य का विवरण
	या नहीं।
2	**कर निर्धारण (Tax Assessment):** करदाता की वास्तविक देय कर राशि तय करना।
3	**जांच (Investigation):** कर चोरी या गलत जानकारी के मामलों की जांच करना।
4	**छापेमारी (Raids/Surveys):** यदि आवश्यक हो तो सर्च और सीज़र की कार्रवाई करना।
5	**कर वसूली (Tax Recovery):** बकाया कर राशि वसूल करना।
6	**अपीलों की तैयारी:** उच्च अधिकारियों के समक्ष मामलों का प्रतिवेदन तैयार करना।
7	**रिकॉर्ड संधारण:** करदाताओं के रिटर्न, दस्तावेज़ों और रसीदों का रखरखाव करना।
8	**जन-जागरूकता:** करदाताओं को कर कानूनों और नियमों की जानकारी देना।

□ आयकर पदाधिकारी की शक्तियाँ (Powers)

आयकर पदाधिकारी को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे:

1. करदाता को **नोटिस जारी करना (Section 142, 143)**
2. **दस्तावेज़ या जानकारी की माँग करना**
3. **कार्यालय या निवास स्थान पर जाँच या सर्वे करना (Section 133A)**
4. **गवाहों को बुलाना और बयान लेना**
5. **दंड लगाने की अनुशंसा करना (Penalty Proceedings)**

□ आयकर पदाधिकारी का कार्यक्षेत्र

आयकर पदाधिकारी किसी **"वृत्त (Circle)" या "वार्ड (Ward)"** में नियुक्त होते हैं, जहाँ वे अपने क्षेत्र के करदाताओं की निगरानी और कर निर्धारण करते हैं।

□ आयकर पदाधिकारी की योग्यता व प्रशिक्षण

बिंदु	विवरण
न्यूनतम योग्यता	स्नातक (Graduate)
भर्ती परीक्षा	SSC CGL (Combined Graduate Level)
प्रशिक्षण केंद्र	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (NADT), नागपुर
सेवा समूह	Group "B" Gazetted Officer
विभाग	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अंतर्गत आयकर विभाग

□ आयकर पदाधिकारी का वेतनमान

घटक	विवरण (7th Pay Commission के अनुसार)
वेतन स्तर	Pay Level-7
मूल वेतन	₹44,900 – ₹1,42,400 प्रतिमाह
अन्य भत्ते	महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) आदि
कुल मासिक वेतन	लगभग ₹70,000 – ₹90,000 (स्थानानुसार बदल सकता है)

□ आयकर पदाधिकारी का महत्व

आयकर पदाधिकारी देश की **आर्थिक व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ** है क्योंकि —

- ये कर राजस्व के सही संकलन को सुनिश्चित करते हैं,
- कर चोरी को रोकते हैं,
- और करदाताओं तथा सरकार के बीच एक पारदर्शी संबंध बनाए रखते हैं।

□ संक्षेप में

बिंदु	विवरण
पदनाम	आयकर पदाधिकारी
अंग्रेज़ी नाम	Income Tax Officer (ITO)
विभाग	आयकर विभाग, भारत सरकार
अधीनस्थ संगठन	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
मुख्य कार्य	कर निर्धारण, जांच, वसूली
भर्ती माध्यम	SSC CGL परीक्षा / पदोन्नति
प्रशिक्षण केंद्र	NADT, नागपुर

“अपील

□ अपील (Appeal) क्या है?

अर्थ:
जब किसी करदाता (Taxpayer) को **आयकर अधिकारी (Income Tax Officer)** या किसी अन्य पदाधिकारी के
किए गए निर्णय (Order) से असहमति होती है,

तो वह उस निर्णय के विरुद्ध **उच्च अधिकारी के समक्ष पुनर्विचार (Review)** के लिए आवेदन करता है —
इसे ही **"अपील"** कहा जाता है।

 सरल शब्दों में —

अपील का अर्थ है न्याय के लिए उच्च अधिकारी के पास पुनः अनुरोध करना।

अपील का उद्देश्य

1. कर निर्धारण में हुई त्रुटियों को सुधारना
2. करदाता को न्याय का अवसर देना
3. विभागीय निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा कराना
4. कर कानूनों की सही व्याख्या सुनिश्चित करना

अपील कब की जा सकती है?

अगर करदाता को निम्नलिखित आदेशों से असहमति है, तो वह अपील कर सकता है:

क्रम	आदेश या कार्यवाही	उदाहरण
1	कर निर्धारण आदेश (Assessment Order)	यदि अधिकारी ने गलत कर राशि तय की हो
2	TDS या ब्याज की गलत गणना	यदि विभाग ने अधिक ब्याज लगा दिया हो
3	दंड (Penalty) लगाया गया हो	जैसे धारा 271 या 270A के अंतर्गत
4	कर छूट (Deduction) न दी गई हो	जैसे धारा 80C, 80D आदि में
5	रिफंड (Refund) अस्वीकार किया गया हो	अगर विभाग ने रिफंड नहीं दिया

अपील की प्रक्रिया (Procedure of Appeal)

आयकर अधिनियम में अपील **तीन मुख्य स्तरों** पर की जा सकती है

पहला स्तर: आयकर अपीलीय अधिकारी (CIT – Appeals)

(Commissioner of Income Tax – Appeals)
संबंधित धारा: 246A

- अपील आयकर अधिकारी के निर्णय के खिलाफ की जाती है।
- अपील दाखिल करने की समय सीमा: **30 दिन** (आदेश की तारीख से)।
- अपील का फॉर्म: **Form No. 35**

- दाखिला: ऑनलाइन पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर।
- अधिकारी दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय देता है — इसे "**अपील आदेश (Appeal Order)**" कहते हैं।

□ दूसरा स्तर: आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT – Income Tax Appellate Tribunal)

संबंधित धारा: 253

- यदि करदाता CIT (Appeals) के निर्णय से असंतुष्ट हो, तो वह **ITAT** में अपील कर सकता है।
- समय सीमा: **60 दिन** (CIT(A) के आदेश की तारीख से)।
- ITAT एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) संस्था है।
- यहाँ दो सदस्यीय पीठ (Bench) निर्णय देती है – एक **न्यायिक सदस्य (Judicial Member)** और एक **लेखा सदस्य (Accountant Member)**।

□ तीसरा स्तर: उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय

स्तर	अदालत	संबंधित धारा	समय सीमा
तीसरा स्तर	उच्च न्यायालय (High Court)	धारा 260A	120 दिन
चौथा स्तर	सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)	धारा 261	आदेश की तारीख से 90 दिन

यदि ITAT का निर्णय किसी **कानूनी प्रश्न (Substantial Question of Law)** से जुड़ा हो, तो अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।
इसके बाद, आवश्यकता होने पर मामला **सुप्रीम कोर्ट** में ले जाया जा सकता है।

□ अपील दाखिल करने के लिए आवश्यक बातें

1. अपील निर्धारित **फॉर्म और समय सीमा** में होनी चाहिए।
2. अपील के साथ:
   - आदेश की कॉपी,
   - कारणों का विवरण,
   - और आवश्यक शुल्क (Filing Fees) संलग्न करना अनिवार्य है।
3. करदाता को **कम से कम कर का 20% भुगतान (Pre-deposit)** करना पड़ सकता है, यदि वह आदेश के खिलाफ अपील करता है।

□ अपील से संबंधित प्रमुख धाराएँ

धारा	विवरण

धारा	विवरण
246A	CIT (Appeals) के समक्ष अपील के अधिकार
249	अपील दाखिल करने की प्रक्रिया
250	अपील की सुनवाई
253	ITAT में अपील
260A	उच्च न्यायालय में अपील
261	सर्वोच्च न्यायालय में अपील

□ अपील के लाभ

✓करदाता को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है।
✓गलत कर निर्धारण या दंड से राहत मिल सकती है।
✓न्यायिक समीक्षा से विभागीय त्रुटियाँ सुधरती हैं।

□ संक्षेप में

बिंदु	विवरण
शब्द	अपील (Appeal)
उद्देश्य	कर निर्धारण या दंड से असहमति पर न्याय प्राप्त करना
प्रथम स्तर	आयकर अपीलीय अधिकारी (CIT – Appeals)
द्वितीय स्तर	आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT)
तृतीय स्तर	उच्च न्यायालय
चतुर्थ स्तर	सर्वोच्च न्यायालय
मुख्य फॉर्म	Form 35
समय सीमा	30–60 दिन के भीतर

"पुनर्विचार (Revision) और अर्थ दंड (Penalty)**

— ये दोनों आयकर अधिनियम के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।
आइए इसे विस्तार से, सरल भाषा में और उदाहरण सहित समझते हैं □

□ 1. पुनर्विचार (Revision) – Review / Revision of Order

□ **अर्थ:**

जब कोई **उच्च अधिकारी** (Commissioner of Income Tax)
किसी **निम्न अधिकारी (जैसे आयकर अधिकारी)** द्वारा दिए गए आदेश को
गलत, अन्यायपूर्ण या कानून के विपरीत पाता है,
तो वह उस आदेश को **सुधारने, संशोधित करने या रद्द करने** का अधिकार रखता है।
इसे ही कहा जाता है **"पुनर्विचार (Revision)"**।

कानूनी प्रावधान (Relevant Sections):

पुनर्विचार से संबंधित दो मुख्य धाराएँ हैं

धारा	विवरण
धारा 263	आयकर आयुक्त द्वारा "विभाग के हित में" पुनर्विचार (Revision in favor of revenue)
धारा 264	करदाता के "हित में" पुनर्विचार (Revision in favor of assessee)

(A) धारा 263 – विभाग के हित में पुनर्विचार

अगर **आयुक्त (Commissioner)** को यह लगे कि
आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश —

- गलत है,
- या कानून के विपरीत है,
- या सरकार के राजस्व (Revenue) को नुकसान पहुँचा रहा है,

तो वह उस आदेश को **संशोधित या रद्द** कर सकता है।

उदाहरण:
अगर किसी अधिकारी ने किसी करदाता की आय गलत तरीके से कम आंकी है
जिससे सरकार को कर का नुकसान हुआ,
तो आयुक्त उस आदेश की समीक्षा कर उसे संशोधित कर सकता है।

(B) धारा 264 – करदाता के हित में पुनर्विचार

अगर करदाता को लगता है कि
आयकर अधिकारी का आदेश उसके लिए **अन्यायपूर्ण** या **गलत** है,
तो वह **आयुक्त के पास पुनर्विचार के लिए आवेदन** कर सकता है।

समय सीमा:
आदेश की तारीख से **1 वर्ष (12 महीने)** के भीतर आवेदन करना होता है।

 उदाहरण:
अगर अधिकारी ने कोई छूट (Deduction) गलत तरीके से अस्वीकार कर दी,
तो करदाता धारा 264 के अंतर्गत पुनर्विचार का अनुरोध कर सकता है।

पुनर्विचार की मुख्य विशेषताएँ

बिंदु	विवरण
उद्देश्य	गलत या अनुचित आदेश को सुधारना
धारा	263 (विभाग हेतु) और 264 (करदाता हेतु)
आवेदन करने वाला	आयुक्त स्वयं या करदाता
समय सीमा	सामान्यतः 1 वर्ष
परिणाम	आदेश संशोधित, निरस्त या नया आदेश पारित किया जा सकता है

2. अर्थ दंड (Penalty) – Meaning and Provisions

अर्थ:

यदि कोई करदाता **आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन** करता है,
या कर की चोरी करता है,
या गलत विवरण प्रस्तुत करता है,
तो उस पर सरकार **अर्थ दंड (Monetary Penalty)** लगा सकती है।

कानूनी आधार:

अर्थ दंड से संबंधित प्रावधान **आयकर अधिनियम, 1961** की
धारा 270 से 275 तक दिए गए हैं।

अर्थ दंड कब लगाया जाता है?

स्थिति	संबंधित धारा	दंड का प्रकार
रिटर्न दाखिल न करना या विलंब से करना	धारा 271F / 234F	₹5,000 तक
गलत विवरण या आय छिपाना	धारा 270A	देय कर का 50% से 200% तक
लेखा पुस्तकों का रखरखाव न करना	धारा 271A	₹25,000
गलत पैन / TAN देना	धारा 272B	₹10,000
TDS न काटना या देर से जमा करना	धारा 271C	काटे जाने वाले कर के

स्थिति	संबंधित धारा	दंड का प्रकार
		बराबर
आय का गलत विवरण देना	धारा 271(1)(c) (पुरानी)	100% से 300% तक कर राशि

□ अर्थ दंड लगाने की प्रक्रिया

1. **नोटिस जारी**: अधिकारी कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) भेजता है।
2. **सुनवाई**: करदाता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
3. **निर्णय**: अधिकारी कारणों को देखकर उचित दंड निर्धारित करता है।
4. **अपील का अधिकार**: करदाता इस आदेश के खिलाफ अपील भी कर सकता है।

□ अर्थ दंड से राहत (Relief from Penalty)

यदि करदाता यह सिद्ध कर दे कि:

- गलती **जानबूझकर नहीं** की गई थी, या
- उचित कारणों से हुई थी,
  तो विभाग दंड **माफ** या **कम** भी कर सकता है (धारा 273B)।

□ संक्षेप में तुलना:

बिंदु	पुनर्विचार (Revision)	अर्थ दंड (Penalty)
अर्थ	गलत आदेश की समीक्षा या सुधार	कानून उल्लंघन पर लगाया गया जुर्माना
मुख्य धारा	263 और 264	270A से 275
प्रारंभ करता है	आयुक्त या करदाता	आयकर अधिकारी
उद्देश्य	न्यायिक सुधार	अनुशासन और कर पालन सुनिश्चित करना
परिणाम	आदेश संशोधित / निरस्त	धनराशि के रूप में दंड
अपील का अधिकार	हाँ	हाँ

□ उदाहरण से समझें

उदाहरण 1 (पुनर्विचार) :
एक करदाता ने आय ₹10 लाख बताई,
पर आयकर अधिकारी ने गलती से ₹8 लाख मानकर कर लगाया।
बाद में आयुक्त ने देखा कि ₹2 लाख की आय छिप गई थी —
तो वह धारा 263 के अंतर्गत आदेश संशोधित कर सकता है।

उदाहरण 2 (अर्थ दंड) :
यदि वही करदाता जानबूझकर ₹2 लाख की आय छिपाता है,
तो उस पर धारा 270A के अंतर्गत **50% से 200% तक का दंड** लगाया जा सकता है।

□ संक्षेप में सारांश

बिंदु	पुनर्विचार	अर्थ दंड
उद्देश्य	गलत आदेश को सुधारना	गलती या अपराध पर सजा देना
कानून की धारा	263, 264	270A – 275
लागू करने वाला	आयुक्त	आयकर अधिकारी
राहत की संभावना	हाँ (264 में)	हाँ (273B में)
परिणाम	आदेश संशोधन	आर्थिक दंड

ई-फ़ाइलिंग ऑफ आयकर रिटर्न"

□ ई-फाइलिंग ऑफ आयकर रिटर्न (E-Filing of ITR)

□ अर्थ:

ई-फाइलिंग का मतलब है कि करदाता **इंटरनेट के माध्यम से** अपना **आयकर रिटर्न (ITR)** आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर **ऑनलाइन सबमिट** करता है।
इससे पारंपरिक "कागज़ आधारित" रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं रहती।

□ ई-फाइलिंग का महत्व:

1. **सुविधाजनक और तेज़:** घर बैठे रिटर्न भर सकते हैं।
2. **त्रुटि कम:** सॉफ्टवेयर और फॉर्म में स्वचालित गणना।
3. **तेजी से रिफंड:** ई-फाइल किए गए रिटर्न का प्रोसेसिंग समय कम होता है।
4. **दस्तावेज़ सुरक्षित:** डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है।
5. **ऑडिट ट्रेल:** सभी लेन-देन का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है।

□ आवश्यकताएँ (Requirements):

1. **PAN कार्ड** (Permanent Account Number)
2. **आयकर विभाग में पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नंबर**
3. **बैंक अकाउंट विवरण** (IFSC, Account Number)
4. **आवश्यक वित्तीय दस्तावेज़:**
   - Form 16 (नियोक्ता द्वारा जारी)
   - Form 26AS (TDS विवरण)
   - बैंक स्टेटमेंट, अन्य आय के प्रमाण आदि

□ ई-फाइलिंग प्रक्रिया (Step by Step)

1 रजिस्ट्रेशन (Registration)

- वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in
- PAN नंबर और आधार विवरण से रजिस्ट्रेशन।

2 लॉगिन (Login)

- रजिस्टर्ड यूजर ID (PAN) और पासवर्ड से लॉगिन।

3 ITR फॉर्म का चयन (Select ITR Form)

- अलग-अलग आय के प्रकार के लिए अलग ITR फॉर्म होते हैं:

आय का प्रकार	ITR फॉर्म
वेतन / Salary	ITR-1 / ITR-2
व्यवसाय / Business	ITR-3 / ITR-4
पूंजीगत लाभ / Capital Gains	ITR-2 / ITR-3

4 डिटेल्स भरना (Filling Details)

- व्यक्तिगत जानकारी
- आय विवरण
- कर कटौती / छूट (Deductions)
- टैक्स भुगतान विवरण

5 टैक्स की गणना और भुगतान (Tax Calculation & Payment)

- ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्वचालित कर गणना करता है।

- अगर टैक्स बकाया है → नेट बैंकिंग या challan के माध्यम से भुगतान।

6 ITR सबमिट करना (Submit ITR)

- सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म को **सबमिट** करें।

7 ई-वेरिफिकेशन (E-Verification)

- रिटर्न जमा करने के बाद इसे **ई-वेरीफाई** करना जरूरी है।
- विकल्प:
  - **Aadhaar OTP**
  - **Net Banking**
  - **Bank Account EVC**
  - **Physical ITR-V भेजना** (अगर EVC नहीं)

□ ई-फाइलिंग के लाभ

लाभ	विवरण
तेज और सरल	घर बैठे फॉर्म सबमिट हो जाता है
त्रुटि कम	सॉफ्टवेयर ऑटो कैलकुलेशन
त्वरित रिफंड	बैंक खाते में डायरेक्ट क्रेडिट
सुरक्षित रिकॉर्ड	डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है
कानूनी मान्यता	आयकर अधिनियम के अनुसार वैध

□ महत्वपूर्ण नोट्स

1. समय पर ITR फाइल करें — सामान्यतः **31 जुलाई** तक।
2. सही और पूर्ण जानकारी दें — गलत जानकारी पर **अर्थ दंड** लगाया जा सकता है।
3. रिटर्न का **acknowledgement / ITR-V** सुरक्षित रखें।

THE END